दृष्टि The Vision

Quick Book

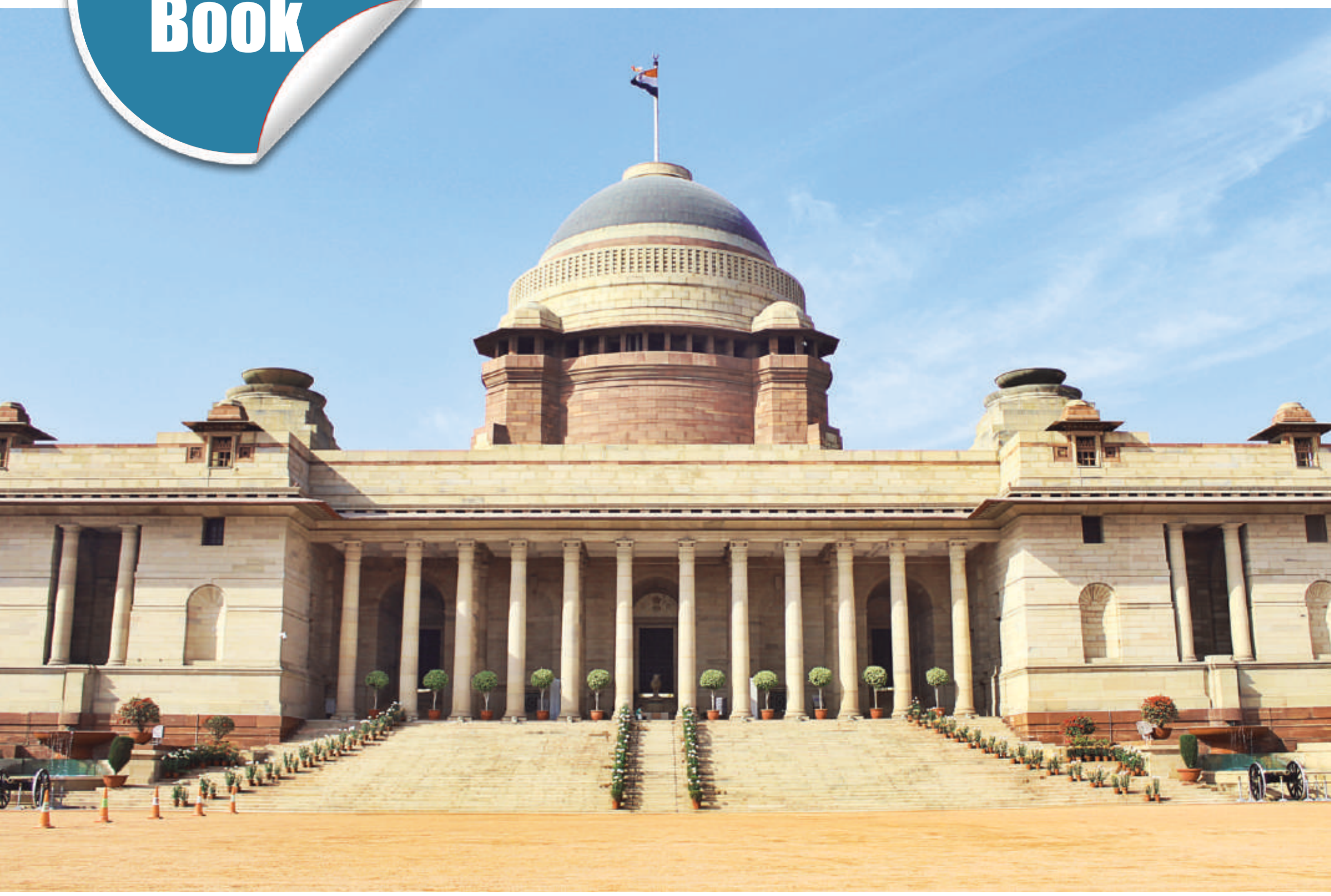

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिये समान रूप से उपयोगी

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

Quick Book श्रृंखला की पुस्तकें

NCERT श्रृंखला की पुस्तकें

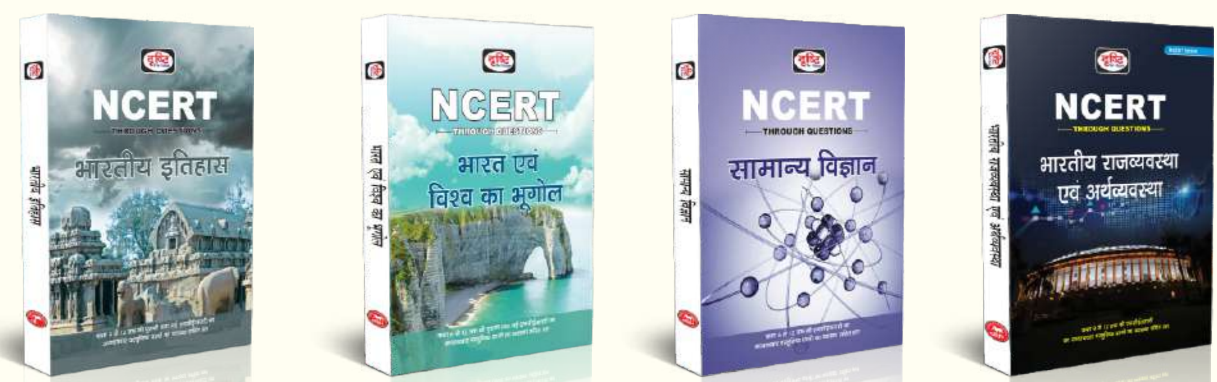

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

भारतीय संविधान
एवं
राजव्यवस्था
(तृतीय संस्करण)

दृष्टि पब्लिकेशन्स
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
bookstream@groupdrishti.com

तृतीय संस्करण- जनवरी 2020

मूल्य : ₹ 280

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशंस, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

'दृष्टि पब्लिकेशन्स' की Quick Book श्रृंखला की प्रथम कड़ी 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' के तृतीय संस्करण को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हार्दिक आनंद की अनुभूति हो रही है। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जून 2017 में किया गया था जिसे पाठकों ने हाथों-हाथ लिया और काफी सराहा। पुन: जुलाई 2018 में पुस्तक का द्वितीय संस्करण पूर्णत: संशोधित और अद्यतन रूप में प्रकाशित हुआ, जिसे लेकर पाठक वर्ग की प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक थी कि सालभर के अंदर ही इसे 3 बार रीप्रिंट करना पड़ा। गौरतलब है कि Quick Book श्रृंखला को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हेतु सामान्य अध्ययन के विषयों पर बाज़ार में ऐसी किसी संक्षिप्त, सारगर्भित एवं प्रामाणिक पुस्तक का अभाव था जो उस विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम की कम समय में रिवीज़न करने में सहायक हो सके। अभ्यर्थियों द्वारा इस तरह की पाठ्य-सामग्री की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए हमने इस पर काम करना प्रारंभ किया। Quick Book श्रृंखला की अब तक प्रकाशित हमारी सारी पुस्तकें अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पूर्णत: खरी उतरी हैं।

जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन पर मज़बूत पकड़ बनाए बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है और प्रतिवर्ष प्रत्येक परीक्षा में 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' विषय पर आधारित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। नि:संदेह इस कड़ी से संबधित पाठ्य-सामग्री की बाज़ार में कमी नहीं है लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से अधिकांश पुस्तकें परंपरागत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। साथ ही, ये पुस्तकें अशुद्धियों की अधिकता एवं अपडेशन के अभाव के कारण परीक्षोपयोगी भी नहीं रह जातीं। बाज़ार में इस विषय पर जो एक-दो ठीक-ठाक पुस्तकें हैं, वे 500–600 पृष्ठों के ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़ना एवं परीक्षा के समय उनसे रिवीज़न करना अभ्यर्थियों के लिये एक कठिन चुनौती है और सच तो यह है कि बिना रिवीज़न के किसी भी परीक्षा में सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती।

अभ्यर्थियों की इन्हीं समस्याओं का समाधान करने का संकल्प हमारी 15 सदस्यीय टीम ने लिया। 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' जैसे व्यापक विषय को लगभग 330 पृष्ठों में समेट पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमारी टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और लगभग 4 महीनों के अथक परिश्रम के बाद सफलतापूर्वक इस कार्य को संपन्न किया। गौरतलब है कि प्रथम संस्करण के समय पुस्तक लगभग 220 पृष्ठों की थी जिसे प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर लिखा गया था लेकिन पाठकों की विशेष मांग पर इसमें मुख्य परीक्षा हेतु मैटर जोड़कर इसे प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा हेतु उपयोगी बनाया गया है। इस पुस्तक को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसकी भाषा सरल एवं सहज हो जिससे अभ्यर्थियों को भारतीय संविधान की जटिलताओं को समझने में कोई परेशानी न आए। विषय-वस्तु को रोचक बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण तथ्यों को फ्लोचार्ट, तालिका, बॉक्स इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। पुस्तक को विश्वसनीय बनाने के लिये तथ्यों एवं सूचनाओं की जाँच मानक स्रोतों से की गई है। साथ ही, पारिभाषिक शब्दों की जटिलता को दूर करने के लिये उन्हें अंग्रेज़ी भाषा में भी लिखा गया है। पुस्तक में किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ न रह जाएँ, इसके लिये कई चरणों में इसका अतिसूक्ष्म निरीक्षण भी किया गया है।

पुस्तक में हमने संबंधित विषय की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिये उन्हें करेंट अफेयर्स के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। 24 अध्यायों में बँटी इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षाओं के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मानकों के अनुरूप सुसज्जित है। प्रत्येक खंड के अंत में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भविष्य में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों का भी उत्तर सहित संकलन है। इन प्रश्नों का अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा जिससे परीक्षा भवन में 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' के प्रश्नों को हल करने में आप सहजता महसूस करेंगे। पुस्तक में IAS मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्यायवार संकलन है; साथ ही अभ्यास हेतु मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकने वाले संभावित नए प्रश्नों को भी जोड़ा गया है। हमारा प्रयास यही है कि हम आपकी सफलता में सक्रिय भागीदारी करें और इसके लिये हम निरंतर प्रयासरत भी हैं।

पुस्तक के नवीनतम संस्करण (प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा हेतु) को पढ़कर अब आप ही तय करेंगे कि यह आपकी अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरी, पर मुझे अगाध विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी तैयारी और सफलता में उपयोगी सिद्ध होगी। वैसे तो 'टीम दृष्टि' द्वारा पुस्तक की कई चरणों में सूक्ष्मतम जाँच की गई है, लेकिन कोई भी कृति सौ प्रतिशत दोषरहित नहीं होती। उसमें कुछ कमियों का रह जाना स्वाभाविक है। मेरा निवेदन है कि आप इस पुस्तक को पाठक के साथ आलोचक की निगाह से भी पढ़ें। अगर आपको इसमें कोई कमी दिखे **तो अपनी बात बेझिझक '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें।** आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1. राजव्यवस्था : एक परिचय 1-18

- राज्य, राज्य के तत्त्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता
  - राज्य क्या है?
  - राज्य के तत्त्व
  - राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तथा इसका विकास
  - राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है?
- शासन के अंग
  - विधायिका
  - कार्यपालिका
  - न्यायपालिका
- कानूनों के विभिन्न प्रकार
- शासन प्रणालियों के प्रकार
- लोकतंत्र एवं संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास
  - वर्तमान समय में संविधानवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ
- लोकतंत्र के प्रकार
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

2. भारतीय संविधान की विकास यात्रा 19-28

- संविधान क्या है?
- संविधान का महत्त्व
- संवैधानिक विकास के चरण
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम
  - रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
  - एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781
  - पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
  - चार्टर अधिनियम, 1813
  - चार्टर अधिनियम, 1833
  - चार्टर अधिनियम, 1853
- ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम
  - भारत शासन अधिनियम, 1858
  - भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
  - भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
  - भारतीय परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार), 1909
  - भारत शासन अधिनियम, 1919
  - भारत शासन अधिनियम, 1935
  - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
- स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल (1946)
- स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

3. भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ 29-37

- पृष्ठभूमि
- संविधान सभा का गठन
  - कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार
- संविधान सभा की कार्यविधि
  - उद्देश्य प्रस्ताव
  - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा हुए परिवर्तन
  - संविधान सभा द्वारा किये गए अन्य कार्य
- संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियाँ
- संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
  - सबसे लंबा लिखित संविधान
  - विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया
  - नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण
  - एकल नागरिकता
  - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
  - स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका
  - संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय
  - संविधान की सर्वोच्चता
  - संसदीय शासन प्रणाली
  - मूल अधिकार, मूल कर्त्तव्य तथा नीति-निदेशक तत्त्व
  - त्रि-स्तरीय शासन/विकेंद्रीकृत व्यवस्था
  - आपात उपबंध
  - पंथनिरपेक्ष राज्य
  - संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

4. संविधान की प्रस्तावना 38-43

- प्रस्तावना क्या है?
- प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द
  - "हम, भारत के लोग"
  - संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न
  - समाजवादी
  - पंथनिरपेक्ष
  - लोकतंत्रात्मक
  - गणराज्य
  - न्याय
  - स्वतंत्रता
  - समता
  - बंधुत्व
  - व्यक्ति की गरिमा
  - राष्ट्र की एकता और अखंडता
- प्रस्तावना की उपयोगिता
- प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं?
- प्रस्तावना परिवर्तनीय/संशोधनीय है या नहीं?
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

5. भारत संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन 44-52

- राज्यों का संघ
- राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति
- राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र बदलने की प्रक्रिया
- क्या संसद के पास भारतीय राज्यक्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है?
- देशी रियासतों का एकीकरण
- मूल संविधान (1949) में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण

- राज्य पुनर्गठन आयोग
  - धर आयोग
  - फज़ल अली आयोग
- 1956 के बाद बने नए राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का विवरण
- भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

6. नागरिकता 53-60

- नागरिकता का अर्थ
- संवैधानिक उपबंध
- नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर
- कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग
- भारतीय नागरिकता का स्वरूप
- एकल नागरिकता के अपवाद
- नागरिकता अधिनियम, 1955
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
  - असम में एनआरसी का अद्यतनीकरण
- विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे
  - अनिवासी भारतीय
  - भारतीय मूल के व्यक्ति
  - भारत के समुद्रपारीय नागरिक
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

7. मूल अधिकार 61-80

- मूल अधिकार क्या हैं?
- संवैधानिक उपबंध
- मूल अधिकारों की विशेषताएँ
- मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद
- अनुच्छेद 12: 'राज्य' की परिभाषा
- अनुच्छेद 13: मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
  - अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 368 का संबंध
- विधियों के अर्थ और परिधि की स्पष्टता करने हेतु दिये गए सिद्धांत
  - आच्छादन का सिद्धांत
  - पृथक्करणीयता का सिद्धांत
  - अधित्याग का सिद्धांत
- अनुच्छेद 14-18 : समता का अधिकार
  - अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता के अपवाद
  - अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
  - अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण
  - अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 19–22 : स्वतंत्रता का अधिकार
  - अनुच्छेद 19 : अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएँ
  - अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
  - अनुच्छेद 21 : प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
  - अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
  - निवारक निरोध विधियों का इतिहास
- अनुच्छेद 23-24 : शोषण के विरुद्ध अधिकार
- अनुच्छेद 25-28 : धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 29-30 : संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
- अनुच्छेद 31–संपत्ति का अनिवार्य अर्जन
- अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार
  - अनुच्छेद 32(2)–रिट
- उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में अंतर
- मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध
  - सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार
  - मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

8. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व 81-87

- राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
  - संवैधानिक उपबंध
  - निदेशक तत्त्वों का महत्त्व
  - विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के संबंध में विचार
  - राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण
  - राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में किये गए संशोधन
  - संविधान के अन्य भागों में उल्लिखित निदेशक तत्त्व
  - निदेशक तत्त्वों की आलोचना
  - मूल अधिकार व निदेशक तत्त्वों में टकराव
  - वर्तमान स्थिति
  - निदेशक तत्त्वों का क्रियान्वयन
  - मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में अंतर
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

9. मूल कर्तव्य 88-91

- मूल कर्त्तव्य
  - संवैधानिक उपबंध
  - मूल कर्त्तव्यों की प्रवर्तनीयता
  - मूल कर्त्तव्यों के संदर्भ में किये गए सरकारी प्रयास
  - मूल कर्त्तव्यों का महत्त्व
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

10. कार्यपालिका 92-115

संघ की कार्यपालिका (The Union Executive)

- भारत का राष्ट्रपति
  - राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54)
- भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग
- राष्ट्रपति के पद की रिक्तता
- राष्ट्रपति की शक्तियाँ
- राष्ट्रपति की वीटो शक्ति
- राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123)
- अध्यादेश की अवधि (विवाद)
- राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति
- राष्ट्रपति से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
- राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संदर्भ में न्यायालय के निर्णय
  - क्या राष्ट्रपति 'रबड़ की मुहर' है?
- भारत का उपराष्ट्रपति
  - उपराष्ट्रपति बनने की अर्हताएँ
  - उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
  - उपराष्ट्रपति की शपथ
  - उपराष्ट्रपति की पदावधि
  - उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता
  - उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य
  - उपराष्ट्रपति की परिलब्धियाँ
  - अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य
- भारत का प्रधानमंत्री
  - प्रधानमंत्री की शपथ
  - प्रधानमंत्री की पदावधि
  - प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद्
  - मंत्रिपरिषद् की संरचना
  - मंत्रिपरिषद् तथा मंत्रिमंडल में अंतर
  - संवैधानिक प्रावधान
  - अनुच्छेद 88 - सदन में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
  - मंत्रिमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य
- भारत का महान्यायवादी
  - शक्तियाँ
  - कार्यकाल की समाप्ति

राज्य की कार्यपालिका (State Executive)

- राज्यपाल
  - नियुक्ति
  - अर्हताएँ
  - शपथ
  - कार्यकाल
  - राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य
  - राज्यपाल से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
- मुख्यमंत्री
  - मुख्यमंत्री की नियुक्ति
  - शपथ
  - कार्यकाल
  - वेतन व भत्ता
  - मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य
- राज्य मंत्रिपरिषद्
  - मंत्रिपरिषद् का गठन
  - मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल
  - मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ एवं कार्य
  - राज्य मंत्रिपरिषद् से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
- महाधिवक्ता
  - उत्तरदायित्व
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

11. न्यायपालिका 116-137

- न्याय क्या है?
- न्यायपालिका के विभिन्न स्तर
- संघीय न्यायपालिका
  - सर्वोच्च न्यायालय
  - सर्वोच्च न्यायालय का गठन
  - न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया
  - मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
  - न्यायाधीशों की अर्हताएँ
  - शपथ
  - न्यायाधीशों का कार्यकाल
  - न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया
  - वेतन व भत्ते
  - तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
  - कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
  - पद की रिक्ति
  - सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ
  - जनहित वाद या लोकहित वाद
  - न्यायिक सक्रियता
  - सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि
  - सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता
- राज्य न्यायपालिका
  - उच्च न्यायालय
  - उच्च न्यायालयों का गठन
  - उच्च न्यायालयों की संख्या
  - न्यायाधीशों की अर्हताएँ
  - न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान
  - न्यायाधीशों का कार्यकाल
  - वेतन एवं भत्ते
  - न्यायाधीशों का स्थानांतरण

- पद की रिक्ति
- कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
- उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ
- उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता

- अधीनस्थ न्यायपालिका एवं अन्य उप-स्तर
  - अधीनस्थ न्यायालय
  - अधीनस्थ न्यायपालिका का ढाँचा
  - लोक अदालत
  - परिवार न्यायालय
  - ग्राम न्यायालय
  - मोबाइल कोर्ट
  - फास्ट ट्रैक कोर्ट
  - ई-अदालत तथा 'आभासी अदालत'
- विशेष उद्देश्य न्यायालय
  - बाल व किशोर न्यायालय
  - उपभोक्ता अदालत
  - सेना न्यायालय/कोर्ट मार्शल
  - हरित पीठें तथा हरित अधिकरण
- न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु उपाय
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

12. विधायिका 138-166

- संघीय विधायिका
  - संसद का गठन एवं संरचना
  - राज्यसभा (उच्च सदन) की संरचना
  - लोकसभा (निम्न सदन) का गठन
- संसद के सत्र
  - सत्र आहूत करना
  - राष्ट्रपति का अभिभाषण
  - लेम डक सत्र या पंगु सत्र
  - स्थगन
  - सत्रावसान
  - विघटन
- संसद की कार्यवाही
  - प्रश्नकाल
  - शून्यकाल
  - प्रस्ताव और संकल्प
- संसदीय विशेषाधिकार
  - संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण
- संसद में विधायी प्रक्रिया
  - विधेयक के प्रकार
- संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया
  - बजट पारित करने की प्रक्रिया
- संसदीय समितियाँ
  - संसदीय समितियों के प्रकार
- संसदीय समितियों के गठन के लाभ
  - सीमाएँ
- विभिन्न प्रकार की निधियाँ
- राज्य का विधानमंडल
  - विधानपरिषद्
  - विधानसभा
  - विधानसभा की शक्तियाँ एवं कार्य
- विधानमंडल के पदाधिकारी
- विधानमंडलों की शक्तियों पर प्रतिबंध
  - गणपूर्ति
- राज्यों की विभिन्न प्रकार की निधियाँ
  - राज्य की संचित निधि
  - राज्य का लोक लेखा
  - राज्य की आकस्मिकता निधि
- विधानमंडल में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

13. केंद्र-राज्य संबंध 167-186

- भूमिका
- केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध
- सूचियों के निर्वचन का सिद्धांत
- राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना
  - राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर
  - राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान
  - राज्यों की सहमति से या उनके अनुरोध पर
  - अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिये
  - राष्ट्रपति शासन के दौरान
  - राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाओं के संबंध में
- राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण
- केंद्र तथा राज्यों की विधियों में टकराव
- केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध
  - कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बँटवारा
  - राज्यों को निदेश देने की केंद्र की शक्ति
  - अखिल भारतीय सेवाएँ
  - अन्य संवैधानिक प्रावधान
  - संविधानेतर प्रावधान
- केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध
- 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
  - राज्यों की कराधान शक्ति पर नियंत्रण
  - कर राजस्व का वितरण
  - वर्तमान में संघ सूची के विभिन्न करों के राजस्व का वितरण
  - अनुदान
  - आपातकाल में वित्तीय संबंध

- केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव के प्रमुख कारण
- सरकारिया आयोग
- पुंछी आयोग
- राज्यों की स्वायत्तता की मांग का औचित्य
- अंतर्राज्यीय परिषद्
  - परिषद् का गठन और वर्तमान स्थिति
- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद
  - नदी बोर्ड अधिनियम, 1956
  - अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
- संविधानेतर संस्थाएँ
  - क्षेत्रीय परिषदें
  - परिषदों का मुख्य उद्देश्य
  - परिषदों के कार्य
  - पूर्वोत्तर परिषद्
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

14. संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था 187-192

- संघ राज्यक्षेत्रों का परिचय
- संघ राज्यक्षेत्रों का ऐतिहासिक विकास
- संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था
  - संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन
  - संघ राज्यक्षेत्रों के निर्माण के कारण
  - संघ राज्यक्षेत्रों में विधानमंडल
  - संघ राज्यक्षेत्रों में अध्यादेश
  - राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति
  - संघ राज्यक्षेत्रों के लिये उच्च न्यायालय
- दिल्ली के लिये विशेष उपबंध
  - राज्य व संघ राज्यक्षेत्रों में तुलना
  - दिल्ली का वर्तमान प्रशासनिक ढाँचा
  - पूर्ण राज्य के दर्जे से संबंधित विवाद
  - दिल्ली के लिये उपयुक्त प्रशासनिक ढाँचा
  - संघ राज्यक्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना से संबंधित तालिका
  - गृह मंत्री की सलाहकार समितियाँ
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

15. कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध 193-203

- अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध
- जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा
- वर्तमान स्थिति
  - सामान्य परिचय
  - अनुच्छेद 370 के निरसन की वर्तमान प्रक्रिया
  - जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - अनुच्छेद 370 : जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
  - संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954
  - अनुच्छेद 35A
- कुछ अन्य राज्यों के लिये विशेष उपबंध
  - महाराष्ट्र व गुजरात
  - नागालैंड
  - असम
  - मणिपुर
  - आंध्र प्रदेश
  - सिक्किम
  - मिज़ोरम
  - अरुणाचल प्रदेश
  - गोवा
  - कर्नाटक
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

16. भाषा संबंधी उपबंध 204-209

- भाषा क्या है?
- राजभाषा
  - राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध
- हिंदी दिवस
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3
  - उपधारा 3
- राजभाषा नियम, 1976
  - संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
  - परिभाषाएँ
  - राज्यों और केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि
  - केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि
  - हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर
  - हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग
  - आवेदन, अभ्यावेदन आदि
  - केंद्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना
  - हिंदी में प्रवीणता
  - हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान
  - मैनुअल, संहिताएँ, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि
  - अनुपालन का उत्तरदायित्व
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

17. आपात उपबंध 210-216

- संवैधानिक प्रावधान
  - उद्देश्य
- आपात उपबंधों का वर्गीकरण
  - राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352)
  - राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
  - वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)
- तुलनात्मक अध्ययन
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

18. अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 217-223

- संवैधानिक प्रावधान
- पाँचवीं तथा छठी अनुसूची की तुलनात्मक विशेषताएँ
- पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य व सम्मिलित क्षेत्र
- छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह
- जनजातीय कार्य मंत्रालय
- अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद : एक नज़र में
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

19. स्थानीय स्वशासन 224-240

- स्थानीय स्वशासन का आशय
- भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास
    - भारत में स्थानीय स्वशासन
- भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ
    - बलवंत राय मेहता समिति
    - अशोक मेहता समिति
    - जी.वी.के. राव समिति
    - लक्ष्मीमल सिंघवी समिति
- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
    - 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय (अनुच्छेद 243छ)
- 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध
    - पंचायत
    - ग्राम सभा
    - पंचायतों का गठन
    - पंचायतों की संरचना : (अनुच्छेद 243ग)
    - ग्राम पंचायत
    - राज्य वित्त आयोग
    - पंचायतों का लेखा परीक्षण
    - राज्य निर्वाचन आयोग
    - 73वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य तथा विवेकाधीन उपबंध
    - क्षेत्र पंचायत समिति (ब्लॉक)
    - ज़िला पंचायत/परिषद्
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार
    - 1996 का पेसा अधिनियम
    - पेसा अधिनियम द्वारा ग्राम सभा एवं पंचायतों को दी गई शक्तियाँ
    - पेसा अधिनियम का महत्त्व
    - पेसा अधिनियम से जुड़ी समस्याएँ
- नगरीय स्थानीय स्वशासन
    - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
    - पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद: एक नज़र में
    - वर्तमान स्थिति
- 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध
    - नगरपालिकाओं का गठन
    - नगरपालिकाओं की संरचना
    - नगरपालिकाओं की अवधि
    - सदस्यता के लिये निरर्हताएँ
    - नगरपालिकाओं की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व
    - नगरपालिकाओं के वित्त से जुड़े प्रावधान
    - करारोपण की शक्ति तथा निधियाँ
    - वित्त आयोग
    - लेखाओं की संपरीक्षा
    - नगरपालिकाओं के लिये चुनाव
    - वार्ड समितियों का गठन
    - ज़िला योजना समिति
    - नगरपालिकाओं में आरक्षण
    - महानगरीय योजना समिति
    - 74वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य व विवेकाधीन उपबंध
    - नगरपालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद: एक नज़र में
    - स्थानीय स्वशासन का महत्त्व
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

20. आयोग/परिषद्/अधिकरण 241-263

- संवैधानिक निकाय
    - वित्त आयोग
    - परिसीमन आयोग
    - संघ लोक सेवा आयोग
    - राज्य लोक सेवा आयोग
    - संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
    - भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
    - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
    - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
    - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
    - निर्वाचन आयोग
- सांविधिक निकाय
    - केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
    - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
    - राष्ट्रीय महिला आयोग
    - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
    - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
    - केंद्रीय सतर्कता आयोग
    - केंद्रीय सूचना आयोग
    - राष्ट्रीय हरित अधिकरण
    - बार काउंसिल ऑफ इंडिया
- केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएँ
    - योजना आयोग
    - नीति आयोग
    - राष्ट्रीय विकास परिषद
    - भारत का विधि आयोग
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

21. भारत में निर्वाचन, मतदान व्यवहार एवं दलीय व्यवस्था 264-275

- चुनाव
- संवैधानिक उपबंध
- भारत में निर्वाचन प्रणाली
  - निर्वाचन प्रणाली के प्रकार
- चुनाव के प्रकार
  - आम चुनाव
  - मध्यावधि चुनाव
  - उपचुनाव
  - चुनाव से संबंधित कमियाँ/समस्याएँ
- चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ
- एक देश एक चुनाव
- मतदान व्यवहार
  - भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक
- दलीय व्यवस्था
  - भारत में दलीय व्यवस्था
- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता
  - राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिये दशाएँ
  - राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिये दशाएँ
- दल परिवर्तन कानून
  - निरर्हता
  - अपवाद
  - निर्धारण प्राधिकारी
  - नियम बनाने की शक्ति
- हित समूह और दबाव समूह
- भारत में दलों का वर्गीकरण
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

22. भारत में सुशासन 276-301

- सुशासन
  - नागरिक-केंद्रित प्रशासन की अवधारणा
  - सुशासन के गुण
  - सुशासन की आवश्यकता क्यों?
  - सुशासन में बाधाएँ
  - सुशासन के लिये पूर्व आवश्यक शर्तें
  - सरकार के कार्य
  - सरकार के कार्यों का वर्गीकरण
- नागरिक चार्टर
  - नागरिक चार्टर का अर्थ
  - सिद्धांत
  - नागरिक चार्टर के संबंध में भारत का अनुभव
  - नागरिक चार्टर की बाधाएँ/कमियाँ
  - नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाना- सुधारों हेतु एजेंडा
  - नागरिक-केंद्रिकता के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग के सात चरण मॉडल
  - शासन में जनता की भागीदारी
  - विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन
- ई-गवर्नेंस
  - ई-गवर्नेंस के चार स्तंभ
  - ई-गवर्नेंस की परिभाषाएँ
  - ई-गवर्नेंस के लक्ष्य
  - ई-गवर्नेंस सेवाएँ
  - ई-गवर्नेंस की अनिवार्यताएँ
  - ई-गवर्नेंस के चरण
  - ई-गवर्नेंस में परस्पर-क्रियाओं के प्रकार
  - ई-गवर्नेंस के लाभ
  - ई-गवर्नेंस : अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य
  - ई-गवर्नेंस : भारत की पहलें
  - गवर्नेंस में सुधार के अभिन्न अंग के रूप में ई-गवर्नेंस
  - ई-गवर्नेंस के सुधार हेतु प्रमुख दशाएँ
  - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
  - सांस्थानिक संरचना
  - गवर्नेंस संरचनाएँ
  - साझा सहायता अवसंरचना
  - ई-गवर्नेंस के लिये कानूनी ढाँचा
  - ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- ओम्बुड्समैन
  - भारत में ओम्बुड्समैन
  - वर्तमान लोकपाल कानून
  - वर्तमान लोकपाल/लोकायुक्त कानून की समस्याएँ
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

23. संविधान संशोधन : एक नज़र में 302-313

- भूमिका
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया
- संविधान संशोधन प्रक्रिया के विभिन्न चरण
- संविधान संशोधन की शक्ति पर लागू सीमाएँ
- वर्तमान में संसद की संविधान संशोधन की संवैधानिक स्थिति
- प्रमुख संविधान संशोधन
  - आधारभूत महत्त्व के संशोधन
  - अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

24. भारतीय संविधान : सामान्य पहलू 314-325

- भारतीय संविधान : एक नज़र में
- भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
- संविधान में उल्लिखित अनुसूचियाँ
- वरीयता अनुक्रम
- संविधान के स्रोत
- राष्ट्रीय प्रतीक
  - राष्ट्रीय ध्वज
  - राजचिह्न
  - राष्ट्रगान
  - राष्ट्रगीत
  - राष्ट्रीय पंचांग
- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

1 राजव्यवस्था : एक परिचय

Polity : An Introduction

राज्य, राज्य के तत्त्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता (State, Elements of State and the Need of Political System)

भारतीय राजव्यवस्था को समझने से पहले ज़रूरी है कि राजव्यवस्था (Polity) की कुछ मूलभूत अवधारणाओं तथा पारिभाषिक शब्दावली (Terminology) से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ तथा उनकी व्याख्या इस अध्याय में आगे दी गई हैं।

राज्य क्या है? *(What is State?)*

राजव्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा 'राज्य' (State) है। राज्य शब्द का प्रयोग यूँ तो विभिन्न प्रांतों (Provinces), जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिये भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की **राजनीतिक संरचना (Political Structure)** से होता है। वस्तुत: यह एक **अमूर्त (Abstract) अवधारणा** है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिये, भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही **राज्य** कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका है या नहीं? विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में) और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों (जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान) में विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इसी बात का प्रमाण है।

राज्य के तत्त्व *(Elements of State)*

किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें निम्नलिखित चार तत्त्व विद्यमान हों-

राज्य के तत्त्व (Elements of State)

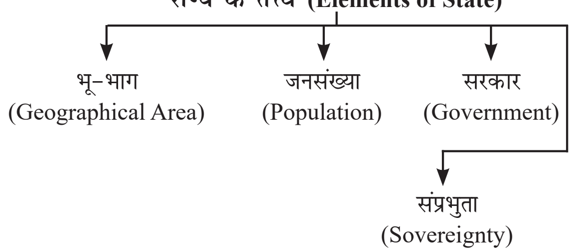

- **भू-भाग (Geographical Area):** एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिये, जिस पर उस 'राज्य' की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएँ करती हो। उदाहरण के लिये, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।
- **जनसंख्या (Population):** राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जनसमुदाय होना चाहिये जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।
- **सरकार (Government):** सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है, जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। 'राज्य' (State) और 'सरकार' (Government) में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना (Abstract Structure) है जबकि सरकार उसकी मूर्त (Concrete) व व्यावहारिक अभिव्यक्ति।
- **संप्रभुता या प्रभुसत्ता (Sovereignty):** यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिये तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिये बाध्य नहीं होना चाहिये।

राज्य के ये चारों तत्त्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है—

- कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी, किंतु भू-भाग नहीं होता। उदाहरण के लिये, तिब्बत की सरकार का संकट यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब 'दलाई लामा' को भारत की शरण लेनी पड़ी और वे हिमाचल प्रदेश के 'धर्मशाला' नामक स्थान से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे तो एक विचित्र-सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी, किंतु उनके पास न तो अपना भू-भाग था और न ही अपने मूल भू-भाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत या प्रभुसत्ता।
- कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भू-भाग भी हो किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी न हो सके। उदाहरण के लिये, पराधीन भारत में जब वायसराय भारतीय भू-भाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था, तो एक

निश्चित भू-भाग के भीतर जनता उसकी आज्ञा का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था।

- जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है तो भी राज्य का ढाँचा चरमराने लगता है। उदाहरण के लिये, अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग-अलग गुट देश के अलग-अलग हिस्से पर कब्ज़ा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियाँ व्यावहारिक स्तर पर शून्य हो जाती हैं, इसलिये उसकी संप्रभुता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तथा इसका विकास *(Meaning of Polity and Political Theory and Its Evolution)*

राजनीति किसी भी समाज का महत्त्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है जिसे जनसेवा के रूप में भी संबोधित किया जा सकता है। गांधीजी के अनुसार, "राजनीति ने हमें साँप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है।" उल्लेखनीय है कि राजनीति का जन्म हमारे और हमारे समाज हेतु क्या उचित है और क्या नहीं, इस तथ्य पर आधारित है।

वहीं राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार तथा संविधान ने आकार प्राप्त किया है। साथ ही, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों का सही तरीके से मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण देना है।

राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? *(Why is Political System Required?)*

राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता के संदर्भ में इतिहासकारों और मानवशास्त्रियों (Anthropologists) ने अभी तक प्राचीन-से-प्राचीन और सरल-से-सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है, उन सभी में किसी-न-किसी रूप में राजनीतिक ढाँचे (Political Structure) की उपस्थिति देखी गई है, चाहे वह ढाँचा राजतंत्र (Monarchy) का हो, लोकतंत्र (Democracy) का या तानाशाही (Dictatorship) का।

वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका काफी ज़्यादा बढ़ गई है। जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बिल्कुल संभव नहीं रहा है कि लोग आपसी सहमति से ही काम चला लें। औपचारिक कानूनों के निर्माण और कानूनों को लेकर होने वाले विवादों की स्थिति में न्यायिक प्रक्रियाओं की ज़रूरत बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कानून का पालन करवाने तक सीमित नहीं है, अब उसने **लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State)** का रूप धारण कर लिया है और समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता, समानता व न्याय उपलब्ध कराना उसकी ज़िम्मेदारी हो गई है।

जहाँ तक भारत में राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न है, इसकी आवश्यकता को कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है, जैसे-

- भारत में **राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया (Nation Building Process)** अभी चल रही है जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुँचा सकती हैं। ऐसे खतरों से निपटने के लिये मज़बूत राजनीतिक प्रणाली ज़रूरी है।
- भारत की **आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)** के समक्ष अभी कई चुनौतियाँ हैं, जैसे- आतंकवाद (Terrorism), नक्सलवाद (Naxalism), अलगाववाद (Separatism) इत्यादि। इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते, जब तक हमारे पास राज्य का एक मज़बूत ढाँचा न हो।
- भारतीय राज्य एक **कल्याणकारी राज्य (Welfare State)** है और यह वंचित वर्गों (Deprived Classes) को समानता की स्थिति में लाने के लिये गंभीर प्रयास करता है। आरक्षण (Reservation) तथा सामाजिक न्याय (Social Justice) की अन्य नीतियाँ इसी उद्देश्य से लागू की जाती हैं। चूँकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा (जैसे- स्त्रियाँ, बच्चे, पिछड़ी जातियाँ तथा अल्पसंख्यक समुदाय) भिन्न-भिन्न दृष्टियों से वंचन (Deprivation) का शिकार रहा है और उन्हें समाज की मुख्यधारा (Mainstream) में लाने के लिये ज़रूरी है कि सरकार की ओर से उन्हें विशेष सुविधाएँ दी जाएँ, इसलिये भारत के लिये एक सुगठित राजनीतिक संरचना ज़रूरी है।
- भारत में विभिन्न **हित-समूह (Interest Groups)** रहते हैं, जिनके बीच अपने हितों को लेकर टकराव होना स्वाभाविक है। इन हितों में सामंजस्य करते हुए उचित कानूनों के निर्माण के लिये संसद (Parliament) की ज़रूरत है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिये एक सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका (Judiciary) भी ज़रूरी है।
- भारतीय समाज तीव्र **सामाजिक परिवर्तनों (Social Changes)** के दौर से गुज़र रहा है, जिसके कारण वंचित वर्ग (Deprived Classes) अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। इससे समाज के वे तबके असहज हैं जो पुरानी व्यवस्था में लाभकारी स्थिति में थे। ये परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनावों को जन्म देते हैं, जो कभी-कभी दलितों तथा स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन (Social Change) तथा आधुनिकीकरण (Modernisation) की इस प्रक्रिया को इन दबावों से बचाने तथा उसे सुचारु रूप से चलाने के लिये सशक्त राजनीतिक ढाँचे की ज़रूरत पड़ती है।

शासन के अंग (Organs of Government)

किसी भी सरकार या राजव्यवस्था के सामने मूलतः तीन चुनौतियाँ होती हैं- (क) कानून बनाने की चुनौती, (ख) कानूनों के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती तथा (ग) व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिये कानून-प्रणाली (Legal System) के अनुसार न्याय व्यवस्था (Justice System) संचालित करने की चुनौती। प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन तीन मूल चुनौतियों के समाधान के लिये उपाय किये जाते हैं। जिन तीन व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, उन्हें **शासन के अंग** कहते हैं। शासन के तीनों अंग निम्नलिखित हैं–

2 भारतीय संविधान की विकास यात्रा
The Journey of Indian Constitution

संविधान क्या है? (What is Constitution?)

संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज़ होता है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है।

प्रत्येक संविधान, उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियाँ इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएँ भी देश के शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

संविधान का महत्त्व (Importance of Constitution)

- संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा?
- यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है।
- यह समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, निर्धारित करता है।
- यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। (न्यूनतम समन्वय व आपसी विश्वास हेतु)
- यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है।
- संविधान, राजव्यवस्था के तीन प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है।
- यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है।
- संविधान एक आइना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है।

संविधान और राजव्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किये गए हैं, ब्रिटिशों द्वारा समय-समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा/ढाँचे को तैयार किया है।

संवैधानिक विकास के चरण (Stages of Constitutional Development)

भारत का संवैधानिक विकास

- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा (1773–1853)
- ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा (1858–1947)

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम (Acts Passed Under the British East India Company)

रेग्युलेटिंग एक्ट, *1773 (Regulating Act, 1773)*

इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्त्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

- बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
- कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई।
- कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजाह इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा चेंबर्स, लिमेस्टर एवं हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद (4 सदस्य) को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का 'गवर्नर जनरल' कहा जाने लगा।
- इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 'लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स' थे।
- इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार/रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बॉडी) का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।
- व्यापार की सभी सूचनाएँ क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया।

3 भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ
The making of the Indian Constitution and its Salient Features

पृष्ठभूमि (Background)

- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया।
- वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही।
- नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन् 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है।
- ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में 'क्रिप्स मिशन' (सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्त्व में) संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया (लीग द्वारा दो स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण)।

संविधान सभा का गठन (Making of the Constituent Assembly)

- क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन (लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्ज़ेंडर) को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिये एक बुनियादी ढाँचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे 'संविधान सभा' का नाम दिया गया।

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार

- ◆ प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थीं। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था रखी गई।
- ◆ संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थीं।
- ◆ 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ़ कमिश्नर के प्रांतों (प्रत्येक में से एक-एक) से किया जाना था।
- ◆ प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों– मुसलमान, सिख और सामान्य (मुस्लिम और सिख के अलावा) में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँटा जाना था।
- ◆ प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था।
- ◆ देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।

- संविधान सभा, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था।
- संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिये जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुईं।
- संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से (वयस्क मताधिकार द्वारा) नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय, यथा– हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल-भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएँ भी इसमें शामिल थीं।

संविधान सभा की कार्यविधि (Proceeding of the Constituent Assembly)

- संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया।
- 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।

उद्देश्य प्रस्ताव *(Objectives Resolution)*

13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही, इसमें संवैधानिक संरचना के ढाँचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं–

4 संविधान की प्रस्तावना
Preamble of the Constitution

प्रस्तावना क्या है?
(What is Preamble?)

प्रस्तावना, भारतीय संविधान की भूमिका की भाँति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है।

- प्रसिद्ध न्यायविद् व संविधान विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के 'परिचय पत्र' की संज्ञा दी है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में रखे गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 'उद्देशिका' कहकर भी संबोधित किया जाता है।
- प्रस्तावना, अमेरिकी संविधान (प्रथम लिखित संविधान) से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है।
- 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष', और 'अखंडता' शब्द शामिल किये गए।

प्रस्तावना *(Preamble)*

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिये

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना के मुख्य तत्त्वों को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं–

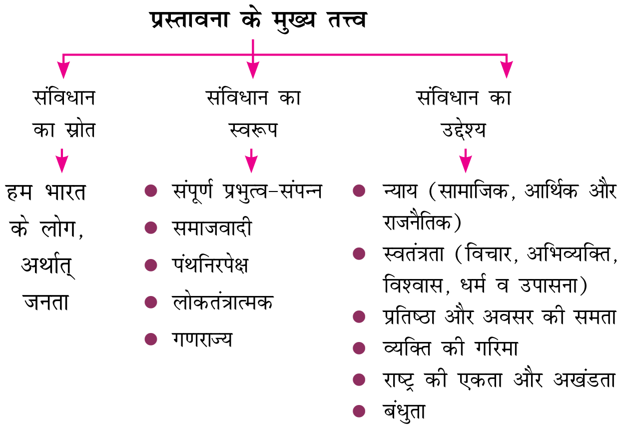

प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द

"हम, भारत के लोग" *("We, the people of India")*

"हम, भारत के लोग........................अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

अर्थात् भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात् अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है।

संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न *(Sovereign)*

इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा।

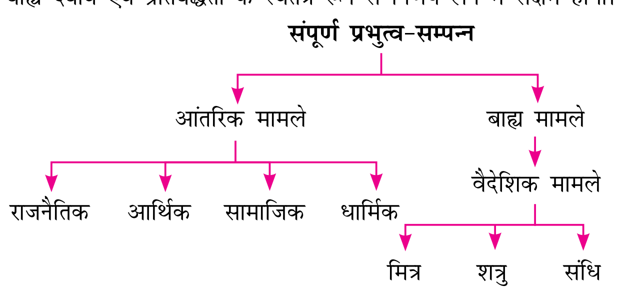

राष्ट्रकुल (स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संघ) एवं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संगठनों की सदस्यता बनाए रखने के कारण भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के विरुद्ध आक्षेप लगाया जाता है। राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश क्राउन को केवल प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के प्रतीक

5 भारत संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन
Union of India and its Territory and Reorganisation of States

राज्यों का संघ (Union of States)

संवैधानिक उपबंध: भारतीय संविधान के भाग-1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है।

- **अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्यक्षेत्र**
  - संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। जिसमें 'भारत' शब्द देश का नाम व 'संघ' शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है।
  - राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
  - भारत के राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे–
    - (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र
    - (ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र
    - (ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएँ।

नोट: भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है, क्योंकि–
- अमेरिका के विपरीत भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाज़ी या समझौते का परिणाम नहीं है।
- कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिये स्वतंत्र नहीं है अर्थात् भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में विभाजन के पश्चात् केंद्रयुक्त संघीय व्यवस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोणों को माना गया है।

- **अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना**

संसद, विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है।

  - अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को दो प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और द्वितीय, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का संबंध उन राज्यों से है, जो पहले से ही विद्यमान हैं। दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित हैं परंतु भारत संघ में शामिल नहीं हैं।

नोट: अनुच्छेद 2 क-सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था, जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया।

राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति (Parliament's Power Relating to The Reorganisation of States)

- **अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन**
  - (क) किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर, दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
  - (ख) किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है।
  - (ग) किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है।
  - (घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
  - (ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।

मूल संविधान में इस अनुच्छेद के प्रावधान प्रायः इतने ही थे। आगे चलकर, 5वें तथा 18वें संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें कुछ बातें जोड़ी गईं।

- 5वें संविधान संशोधन, 1955 के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया। इसके तहत दो व्यवस्थाएँ की गईं– 1. राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किये जा सकेंगे; तथा 2. राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उन पर राय देने के लिये निश्चित समय देगा।
- 18वाँ संशोधन 1966 में हुआ जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण किया जाना था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में दो स्पष्टीकरण जोड़े गए। इन स्पष्टीकरणों का सार यह है कि संसद राज्य गठन की अपनी इस शक्ति के तहत संघ राज्यक्षेत्रों का निर्माण भी कर सकेगी, किंतु यदि किसी संघ राज्यक्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होगी कि उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्यक्षेत्र की किसी संस्था के पास भेजा जाए।
- अनुच्छेद 3 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है क्योंकि राज्यों का अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। खास बात यह है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उनका नाम बदलने के लिये संसद को विशेष बहुमत (Special Majority) की भी ज़रूरत नहीं है; वह ऐसा साधारण बहुमत (Simple Majority) से ही कर सकती है।

6

नागरिकता
Citizenship

नागरिकता का अर्थ (Meaning of Citizenship)

- नागरिकता का सामान्य अर्थ 'व्यक्ति और राज्य के अंतर्संबंधों की उद्घोषणा' है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है, जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है, जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किये गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों।
- नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र/राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्त्तव्य भी दिये जाएँ, जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अत: नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्त्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है।

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions)

- भारतीय संविधान के भाग–II में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
- भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग-अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है, संपूर्ण भारत के लिये एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है- स्टेट व फेडरेशन की पृथक्-पृथक् नागरिकताएँ।

भाग-2 नागरिकता
अनुच्छेद 5 - संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
अनुच्छेद 6 - पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद 7 - पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद 8 - भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
अनुच्छेद 9 - विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
अनुच्छेद 10 - नागरिकों के अधिकारों का बना रहना।
अनुच्छेद 11 - संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

- संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अत: नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है, जो 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। (अनुच्छेद 11)
- संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 को लागू किया और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन भी किये गए, जो मुख्यत: निम्न हैं-
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1986
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1992
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005
  - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015

नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर (Differences between the Rights of Citizen and Non-Citizen)

भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार	विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार (भारतीय नागरिक को भी)
अनुच्छेद–15, 16, 19, 29, व 30 केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध। **अनुच्छेद 16:** लोक नियोजन में अवसर की समानता। **अनुच्छेद 19:** वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण **अनुच्छेद 29:** अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। **अनुच्छेद 30:** शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।	अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 व 28 भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार हैं। **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समता **अनुच्छेद 20:** अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। **अनुच्छेद 21:** प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। **अनुच्छेद 21A:** शिक्षा का अधिकार (6–14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा)। **अनुच्छेद 22:** कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण। **अनुच्छेद 23:** बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। **अनुच्छेद 24:** जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। **अनुच्छेद 25-28:** धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।

7

मूल अधिकार

Fundamental Rights

मूल अधिकार क्या हैं? (What are Fundamental Rights?)

- मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं, जो व्यक्ति के भौतिक (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) व नैतिक (आध्यात्मिक/धार्मिक) विकास हेतु आवश्यक हैं।
- ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ-साथ राज्य के ख़िलाफ़ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं।

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions)

- मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत हैं।
- संविधान के भाग–III में अनुच्छेद 12–35 तक इनका उल्लेख है। संविधान के भाग–III को भारत का 'मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी जाती है।

> **मैग्नाकार्टा:** अधिकारों का एक घोषणापत्र है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ई. में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 ई. में फ्राँस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया।

- संविधान के भाग–III की न्यायोचित प्रकृति (न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त) इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है।
- मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किये गए थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को [अनुच्छेद 19(1)(च) व अनुच्छेद 31] इस सूची से हटाकर अनुच्छेद-300क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
- मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है व सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के ख़िलाफ़ विरोध दर्ज कर पाते हैं।

मूल अधिकारों की विशेषताएँ (Characteristics of Fundamental Rights)

मूल अधिकारों की निम्न विशेषताएँ हैं–

- मूल अधिकार न्यायोचित हैं, इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है।
- मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है।
- मूल अधिकार व्यक्ति को, राज्य के ख़िलाफ़ प्राप्त अधिकार हैं।
- मूल अधिकार असीमित नहीं हैं। राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधनों के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है।
- यह अधिकार स्थायी नहीं हैं अर्थात् संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा-बढ़ा सकती है।
- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार निलंबित किये जा सकते हैं।

> **नोट:** 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में कॉन्ग्रेस ने एक घोषणापत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया।

क्र.सं.	संविधान में वर्णित मूल अधिकार	
1.	समानता का अधिकार	अनुच्छेद 14–18
2.	स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 19–22
3.	शोषण के विरुद्ध अधिकार	अनुच्छेद 23–24
4.	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 25–28
5.	संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	अनुच्छेद 29–30
6.	संवैधानिक उपचारों का अधिकार	अनुच्छेद 32

> **नोट:** अनुच्छेद 31-संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद (Articles related to Fundamental Rights)

अनुच्छेद		विषय वस्तु/सामग्री
12.		राज्य की परिभाषा (भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी)
13.		मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
14.	समानता का अधिकार	विधि के समक्ष समानता
15.	समानता का अधिकार	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
16.	समानता का अधिकार	लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
17.	समानता का अधिकार	अस्पृश्यता का अंत
18.	समानता का अधिकार	उपाधियों का अंत

8 राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
Directive Principles of State Policy-DPSP

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

- राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है।
- जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिये नीति निदेशक तत्त्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्त्तव्य है। नीति निदेशक तत्त्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ-प्रदर्शक के रूप में रखा है।
- स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहाँ यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके; तो वहीं राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय है।

संवैधानिक उपबंध *(Constitutional Provisions)*

संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति-निदेशक तत्त्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है।

> संविधान सभा के सलाहकार बी. एन. राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को दो वर्गों में बाँटा जाना चाहिये–
> (i) वे अधिकार, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं एवं
> (ii) वे अधिकार, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
> इसी आधार पर प्रवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग-III में मूल अधिकारों को रखा गया और अप्रवर्तनीय अधिकारों (Unenforceable Rights), जिनका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निदेशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सकें, को भाग-IV के अंतर्गत नीति निदेशक तत्त्वों के रूप में समाहित किया गया।

निदेशक तत्त्वों का महत्त्व *(Importance of Directive Principles)*

- 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना।
- आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार; अधिकांश योजनाएँ इससे प्रेरित हैं।
- इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है।
- जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है।
- वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंगर्तत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है और जीवन के अधिकार में आजीविका भी निदेशक तत्त्वों में वर्णित है।

विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के संबंध में विचार *(Thoughts of Different Thinkers Regarding to the Directive Principles of State Policy)*

- **डॉ. अंबेडकर**– "नीति निदेशक तत्त्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राजव्यवस्था के लक्ष्य 'आर्थिक लोकतंत्र' को निर्धारित करते हैं जैसा कि 'राजनीतिक लोकतंत्र' में प्रकट होता है।"
- **ग्रेनविल ऑस्टिन**– "निदेशक तत्त्व, सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम हैं।"
- **बी.एन. राव**– "नीति निदेशक तत्त्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिये शैक्षिक महत्त्व है।"

संविधान के भाग-IV में उल्लिखित नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36–51)

अनुच्छेद	मूल विषय-वस्तु
36	नीति निदेशक तत्त्वों के संदर्भ में 'राज्य' की परिभाषा।
37	नीति निदेशक तत्त्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।
38	(1) राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाएगा- राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। (2) आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना।

9

मूल कर्त्तव्य
Fundamental Duties

मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties)

- भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्त्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। चूँकि अधिकारविहीन कर्त्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्त्तव्यविहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अत: यह एक-दूसरे के पूरक हैं।
- विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो हैं, लेकिन मूल कर्त्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण अमेरिकी संविधान है। साम्यवादी देशों में मूल कर्त्तव्यों की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है, उदाहरणस्वरूप- भूतपूर्व सोवियत संघ।

संवैधानिक उपबंध *(Constitutional Provisions)*

- मूल संविधान में मूल कर्त्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी **सरदार स्वर्ण सिंह** के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्त्तव्य भी होने चाहिये।
- इस समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग-4 के बाद भाग-4क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51क के अंतर्गत 10 मूल कर्त्तव्यों की सूची का समावेश किया गया।
- 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा एक और मूल कर्त्तव्य 11वें मूल कर्त्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता/संरक्षकों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।
- भारत में मूल कर्त्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है।

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–	
1.	संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2.	स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3.	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
4.	देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5.	भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6.	हमारी-सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7.	प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8.	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9.	सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10.	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
11.	माता-पिता या संरक्षक का कर्त्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के, यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

मूल कर्त्तव्यों की प्रवर्तनीयता *(Enforceability of Fundamental Duties)*

- मूल कर्त्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं अर्थात् किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्त्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह नीति-निदेशक तत्त्वों से समानता रखते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी व्यंग्यात्मक लहजे में मूल कर्त्तव्यों को 'निरर्थक घोषणाएँ' भी कह दिया जाता है।
- हालाँकि, कई मामलों में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिये मूलभूत महत्त्व के हैं, वैसे ही मूल कर्त्तव्य भी हैं।
- भारत सरकार द्वारा 'मूल कर्त्तव्यों के प्रचालन' (Operationalisation of Fundamental Duties) के संबंध में 'वर्मा समिति' (1999) गठित की गई। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च

10

कार्यपालिका
The Executive

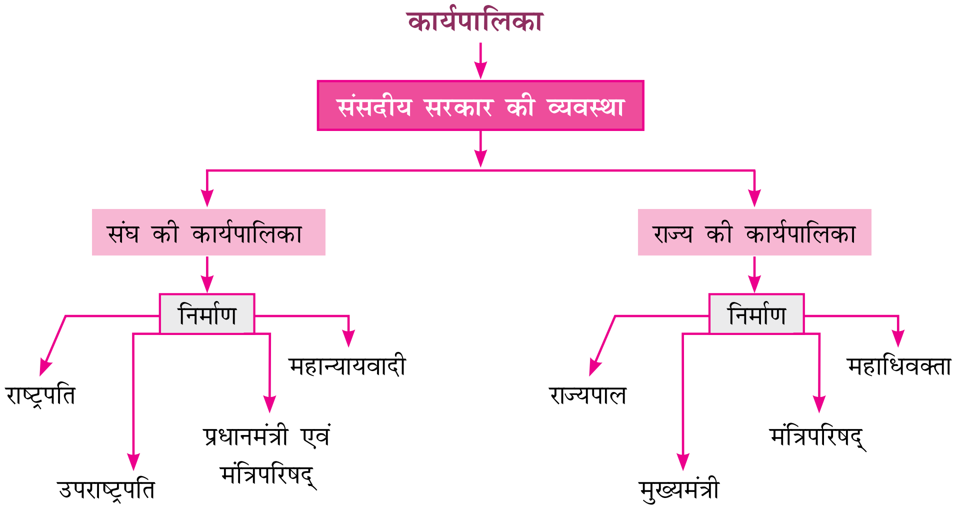

- भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। जहाँ एक तरफ अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यों के लिये संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है।
- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता एवं संवैधानिक रूप में अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है।
- संविधान के भाग V के अनुच्छेद 52–78 तक संघ (केंद्र) की कार्यपालिका का वर्णन है तो वहीं राज्यों के प्रशासन के लिये संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 153–167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है।
- भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है, तो वहीं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् और महाधिवक्ता से मिलकर होता है।
- संघीय कार्यपालिका एवं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण चूँकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है, इसलिये कार्यपालिकीय स्वरूप को केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में अलग-अलग समझते हैं।

संघ की कार्यपालिका (The Union Executive)

भारत का राष्ट्रपति (President of India)

- भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष (राष्ट्राध्यक्ष) एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं परंतु, वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं।
- भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद 54)

- राष्ट्रपति का निर्वाचन, एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती अर्थात् जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है।

11 न्यायपालिका
Judiciary

न्याय क्या है? (What is Justice?)

- जे.एस. मिल के शब्दों में, "न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत; बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति-विशेष हमेशा दावा जता सकता है।" न्याय का संबंध समाज में जीवन तथा सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने वाले तौर-तरीकों से होता है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्त्तव्यों का बँटवारा संभव हो पाता है। इसलिये 'न्याय' राजनीति के लिये भी महत्त्वपूर्ण बिंदु है।
- इसके अतिरिक्त न्यायपूर्ण समाज की उपस्थिति लोकतंत्र की मज़बूती और जीवंतता के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, "न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे।"
- सामाजिक न्याय समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, समानुपातिक न्याय और विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। हालाँकि, लोगों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत, समान बर्ताव के सिद्धांत की अनिवार्यता खंडित न करते हुए उसका विस्तार ही करता है।
- न्याय एवं न्यायपूर्ण समाज की सुनिश्चितता के लिये भारतीय संविधान के द्वारा 'न्यायपालिका' का प्रावधान किया गया है जो विभिन्न स्तरों पर उपस्थित है।

न्यायपालिका के विभिन्न स्तर (Various Levels of the Judiciary)

- भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है।

> उच्चतम न्यायालय → उच्च न्यायालय →
> ज़िला और सत्र न्यायालय

- उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को सम्मिलित रूप में 'उच्चतर न्यायपालिका' (Higher Judiciary) कहते हैं, तो वहीं उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर 'निम्नतर न्यायपालिका' (Lower Judiciary) या 'अधीनस्थ न्यायपालिका' (Subordinate Judiciary) का निर्माण होता है।
- निम्नतर न्यायपालिका के कई उप-स्तर पाए जाते हैं, जैसे- ज़िला एवं सत्र न्यायालय।
- सभी निम्नतर न्यायपालिकाएँ प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती हैं अर्थात् उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील सुनने के साथ-साथ इनके प्रशासन की निगरानी भी करता है।
- उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से इन पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालयों के निर्णयों को बदला जा सकता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण किया जा सकता है, किंतु प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
- न्यायपालिका के अलावा कुछ अधिकरण (Tribunals) भी किसी विशेष विभाग या विशेष अधिनियम से जुड़े मामलों को देखने के लिये स्थापित किये गए हैं, जिनका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से भाग-14क जोड़कर [323 क तथा 323 ख] किया गया।
- अधिकरणों की तरह कुछ आयोग (Commission), बोर्ड (Board), फोरम (Forum) कार्यरत हैं, जिनकी कार्यशैली अधिकरणों के काफी समान है।

> न्यायपालिका के प्रयोगों से विकसित कुछ अन्य संस्थाएँ हैं, जैसे– लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल व किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ई-अदालत, ग्राम न्यायालय आदि।

संघीय न्यायपालिका (Federal Judiciary)

सर्वोच्च न्यायालय *(Supreme Court)*

- सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग-5 के अध्याय-4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है।
- यह 1935 के 'भारत शासन अधिनियम' द्वारा स्थापित 'संघीय न्यायालय' (Federal Court) का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ-साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है।
- उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। (अनुच्छेद 143)

12 विधायिका
Legislature

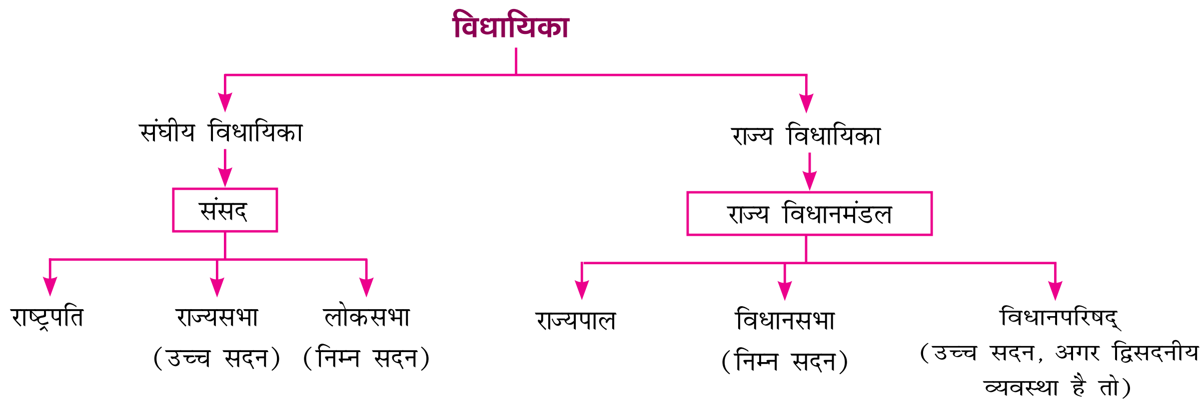

संघीय विधायिका (Federal Legislature)

- संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो सदन– राज्यसभा (उच्च सदन) और लोकसभा (निम्न सदन) हैं।
- लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है एवं यह एक अस्थायी सदन है। यह कभी भी भंग हो सकती है। तो वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है अर्थात् इसका विघटन नहीं होता है।
- भारतीय संविधान के भाग–V में अनुच्छेद 79–122 में संसद के गठन, संरचना, संसद के सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ आदि के बारे में उल्लेख किया गया है।

संसद का गठन एवं संरचना
(Constitution and Composition of Parliament)

- राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है अर्थात् राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। (अनुच्छेद 79)
- लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा केंद्र में राज्यों व केंद्रशासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट: संसद के उच्च सदन अर्थात् राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है।

- राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न प्रदान करे।

राज्यसभा (उच्च सदन) की संरचना
[Composition of Rajya Sabha (Council of States)]

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है।
- राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। इनमें से राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
- शेष, जो अधिकतम 238 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 233 हैं, निर्वाचित होते हैं। (राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 में से)
- प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य-विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है।
- वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक (31) है। तत्पश्चात् महाराष्ट्र (19), तमिलनाडु (18), पश्चिम बंगाल (16) तथा बिहार (16) की है।

राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
(Election of Rajya Sabha Members)

- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विस्तार से किया गया है।

13

केंद्र-राज्य संबंध
Centre-State Relations

भूमिका (Introduction)

- दोहरे शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता है। भारत में भी संविधान ने शासन के दो स्तरों की स्थापना की है, जिसके केंद्र में एक संघीय सरकार है तथा चारों तरफ परिधि में राज्य सरकारें हैं।
- ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में कहीं भी 'केंद्र सरकार' का नामोल्लेख नहीं है; सर्वत्र 'संघ सरकार' का ही उल्लेख किया गया है। किंतु राजनैतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रयोजनों के लिये 'केंद्र सरकार' शब्द का व्यापक प्रचलन है। वस्तुत: 'संघ' की बजाय 'केंद्र' शब्द की व्यावहारिक स्वीकार्यता यह रेखांकित कर देती है कि भारतीय संघवाद में 'केंद्राभिमुखता' अंतर्निहित है। फिर भी, संघवाद की भावना के अनुरूप भारतीय संविधान 'एक राजनीतिक व्यवस्था में दोहरे शासन' की संस्थापना करता है।
- भारतीय संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान भाग-11 में दिये गए हैं। इस भाग में दो अध्याय हैं- पहले अध्याय में केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंध (अनुच्छेद 245–255) बताए गए हैं तथा दूसरे अध्याय में प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों (अनुच्छेद 256–263) का उल्लेख किया गया है।
- वित्तीय संबंधों की चर्चा भाग-XII के कुछ हिस्सों (अनुच्छेद 268–293) में की गई है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान भी केंद्र-राज्य संबंधों को प्रदर्शित करता है।
- केंद्र एवं राज्य के मध्य मुख्यत: 4 प्रकार की शक्तियों व दायित्वों का बँटवारा हो सकता है- विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तथा वित्तीय।
- भारत में न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण केंद्र एवं राज्य के मध्य केवल तीन प्रकार की शक्तियों (विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय) का ही वितरण किया जाता है।

> **नोट:** अमेरिका में इन चारों शक्तियों का बँटवारा केंद्र एवं राज्यों में अलग-अलग किया गया है।

केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध
(Legislative Relations Between the Centre & States)

- केंद्र अथवा राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति कहलाती है।
- भारतीय संविधान के भाग-XI में अनुच्छेद 245–255 तक केंद्र-राज्य विधायी संबंधों की विस्तृत चर्चा की गई है।
- केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बँटवारे को हम 'राज्यक्षेत्रीय विस्तार' एवं 'विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियाँ' नामक शीर्षक से समझ सकते हैं।
- यहाँ 'राज्यक्षेत्रीय विस्तार' से तात्पर्य केंद्रीय तथा राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से है तथा 'विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियों' का तात्पर्य केंद्रीय तथा राज्य विधायिका जिन विषयों पर कानून बना सकती है, से है।
- संविधान के अनुच्छेद-245(1) में यह प्रावधान है कि-

"इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।"

- संविधान द्वारा प्रदत्त यह शक्ति जहाँ केंद्र एवं राज्यों को विधि बनाने को प्रेरित करती है, तो वहीं संविधान के कई अनुच्छेद संसद व राज्य विधानमंडलों की शक्ति को सीमित भी करते हैं। जैसे-

संविधान की सातवीं अनुसूची में विधि निर्माण के विषयों को केंद्र और राज्य के मध्य तीन सूचियों में बाँटा गया है-

- सूची I- संघ सूची (Union List)
- सूची II- राज्य सूची (State List)
- सूची III- समवर्ती सूची (Concurrent List)

जहाँ संसद को संघ सूची से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है, तो वहीं 'सामान्य परिस्थितियों' में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को प्राप्त है। जबकि समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।

> **नोट:** वे विषय जो उपर्युक्त तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते, वे अवशिष्ट सूची (Residual List) के अंतर्गत आते हैं तथा इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ (Residual Powers) देने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है।
>
> केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन की शक्ति है लेकिन ऐसा करते समय संविधान का मूल ढाँचा बना रहना चाहिये।

- संविधान का अनुच्छेद 13(2) इस बात पर रोक लगाता है कि कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है। यदि कोई विधि मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है तो बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

14 संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था
Governance System of Union Territories

संघ राज्यक्षेत्रों का परिचय
(Introduction of Union Territories)

भारतीय संविधान के भाग-1 में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र को तीन वर्गों में बाँटा गया है-

1. राज्य (States)
2. संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories)
3. अर्जित राज्यक्षेत्र (Acquired Territories)

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के 31 अक्तूबर, 2019 से लागू होने के कारण वर्तमान में भारत में कुल राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या क्रमश: 28 एवं 9 हो गई है। इस व्यवस्था से पूर्व राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या 29 एवं 7 थी।

संघ राज्यक्षेत्रों का ऐतिहासिक विकास
(Historical Development of Union Territories)

- 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र को 2 वर्गों (राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र) में विभाजित किया।
- आमतौर पर शुरुआती दौर में शामिल संघ राज्यक्षेत्रों में वही क्षेत्र थे, जो भाग 'ग' व भाग 'घ' के राज्यों में शामिल थे। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा भाग 'ग' तथा भाग 'घ' के राज्यों को संघ राज्यक्षेत्रों में शामिल किया गया था, जैसे- हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आदि।
- कालांतर में इनमें से कुछ राज्यक्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया एवं विदेशों से अर्जित कुछ राज्यक्षेत्रों (जैसे-पॉण्डिचेरी, दमन व दीव, दादरा एवं नागर हवेली) को तथा कुछ अन्य क्षेत्रों (जैसे-चंडीगढ़) को संघ राज्यक्षेत्रों में शामिल कर लिया गया।
- वर्तमान में कुल 9 क्षेत्र इस वर्ग में शामिल हैं- दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुच्चेरी, दादरा एवं नागर हवेली, दमन व दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख।

संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
(Constitutional Provisions relating to Union Territories)

- संविधान के भाग–VIII (अनुच्छेद-239–241) में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिये गए हैं।
  - अनुच्छेद-239 : संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन।
  - अनुच्छेद-239क : कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिये स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन।
  - अनुच्छेद-239कक : दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध।
  - अनुच्छेद-239कख : संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध।
  - अनुच्छेद-239ख : विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति।
  - अनुच्छेद-240 : कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिये विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
  - अनुच्छेद-241 : संघ राज्यक्षेत्रों के लिये उच्च न्यायालय
- 14वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 के द्वारा अनुच्छेद-239 क जोड़ा गया।
- 27वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा अनुच्छेद-239 ख जोड़ा गया।
- 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा अनुच्छेद-239 कक तथा अनुच्छेद-239 कख को शामिल किया गया।
- **संघ राज्यक्षेत्रों तथा राज्यों में अंतर (Difference between Union Territories and States):** संघ राज्यक्षेत्र और राज्य में प्रमुख अंतर यह है कि जहाँ राज्य केंद्र के साथ शक्ति विभाजन में हिस्सेदार के तौर पर शामिल होते हैं, वहीं संघ राज्यक्षेत्र सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। राज्यों को अधिकार है कि केंद्र सरकार से विवाद होने पर वे सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के तहत याचिका दायर कर सकें पर संघ राज्यक्षेत्रों को यह अधिकार नहीं है। कुछ संघ राज्यक्षेत्रों में कानून बनाने के लिये उनकी अपनी विधायिका हो सकती है किंतु संसद के कानूनों से विरोध होने की स्थिति में वे कानून स्वत: खारिज हो जाते हैं। राज्यों की स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं है क्योंकि उनके पास राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की लगभग पूरी शक्ति है। कहा जा सकता है कि संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में भारतीय संविधान संघात्मक नहीं, पूर्णत: एकात्मक ढाँचे का प्रयोग करता है।
- **संघ राज्यक्षेत्रों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में अंतर (Difference between Union Territories and Centrally Administered Territories):** 'संघ राज्यक्षेत्रों' (Union Territories) तथा 'केंद्रशासित प्रदेशों' (Centrally Administered Territories) में भी अंतर है। प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश तो संघ राज्यक्षेत्र होता ही है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि हर संघ राज्यक्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश भी हो। वर्तमान में पुदुच्चेरी, दिल्ली, जम्मू और

15

कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध
Special Provisions for Some States

अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध
(Temporary, Transitional and Special Provisions)

भारतीय संविधान में कुछ राज्यों को अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का स्थान प्राप्त है, जो नियत अवधि के लिये निर्धारित किये गए थे। भारतीय संविधान के भाग-21 के अनुच्छेद-370 के अधीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिये अस्थायी उपबंध का प्रावधान किया गया था वर्तमान में इस व्यवस्था को यानी अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान के भाग-21 के अनुच्छेद 371 से 371 ञ तक विभिन्न राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध यथावत बने हुए हैं। राज्यों को प्रदान की गई विशेष संवैधानिक स्थिति को निम्नानुसार समझा जा सकता है-

राज्यों की विशेष स्थिति का संवैधानिक प्रावधान

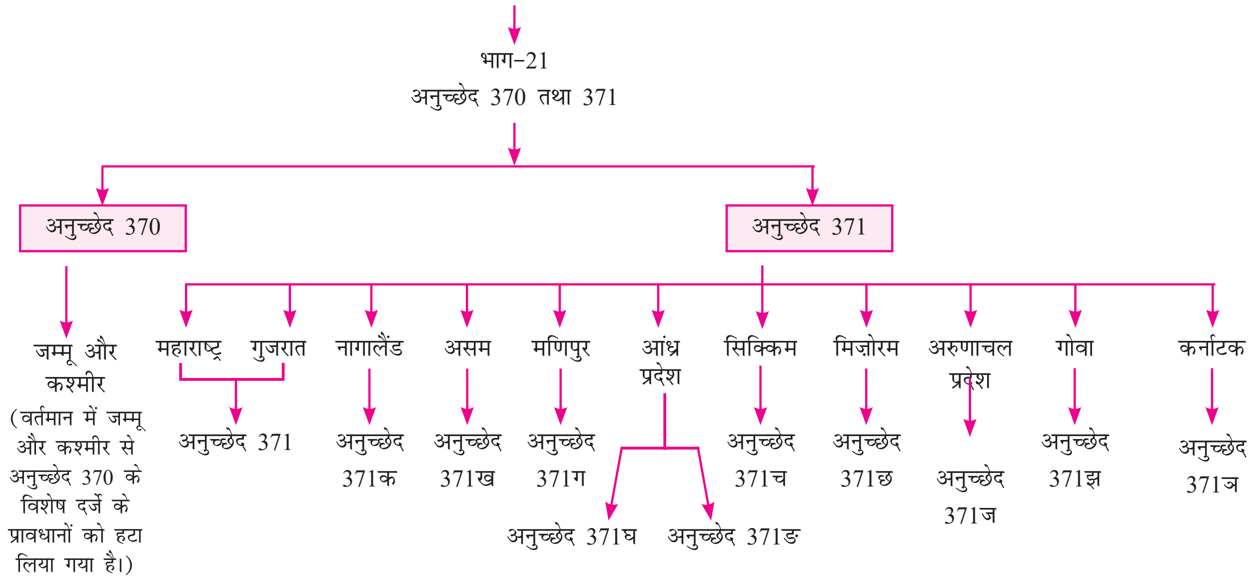

जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा
(Special Status of Jammu and Kashmir)

- भारतीय संविधान के भाग-21 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था।
- भारतीय संविधान द्वारा कुल राज्यों में से 12 राज्यों को (जम्मू और कश्मीर सहित) विशेष दर्जा प्रदान किया गया था।
- जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता शेष अन्य राज्यों की स्वायत्तता से तुलनात्मक दृष्टि से अत्यंत व्यापक था।

यूँ तो जम्मू और कश्मीर दुनिया के सबसे सुंदर स्थलों में से एक है और इसे 'धरती का स्वर्ग' की उपमा भी दी जाती है, लेकिन औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद भारत में इस राज्य के ऐतिहासिक विलय के बावजूद यह राज्य भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। चूँकि पाकिस्तान द्वारा उपरोक्त विलय को स्वीकार नहीं किया जाता। अत: पाकिस्तान द्वारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर मुद्दा बनाया जाता है। इन्हीं वजहों से इस क्षेत्र की गिनती दुनिया के सबसे विवादग्रस्त क्षेत्रों में की जाती है।

उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूर्व में इसको अनुच्छेद-370 के तहत अस्थायी और संक्रमणशील उपबंधों के अनुसार एक विशेष दर्जा दिया गया था किंतु इस क्षेत्र की संवेदनशीलता और प्रमुख चुनौतियों को देखते हुए अब यह प्रावधान जम्मू और कश्मीर से हटा लिया गया है।

16 भाषा संबंधी उपबंध

Provisions relating to Language

भाषा क्या है? (What is Language?)

- भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम कहा जाता है। "भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की वह सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था है जिसमें ध्वनियाँ व शब्द तो सीमित होते हैं परंतु सृजनात्मक प्रयोग के कारण वाक्य असीमित हो जाते हैं।"
- एक समाज के विकास की पहचान भाषा एवं उसके शब्दों के चयन से भी की जा सकती है। अत: भाषा हमारे विकास, अस्मिता, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है, जिसके बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है।

राजभाषा (Official Language)

भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले हिंदी में 'राजभाषा' शब्द का प्रयोग प्राय: नहीं मिलता। सबसे पहले सन् 1949 ई. में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में 'नेशनल लैंग्वेज' (National Language) के समानांतर 'स्टेट लैंग्वेज' (State Language) शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया कि 'राष्ट्रभाषा' (National Language) और 'राजभाषा' (State Language) में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके। संविधान सभा की कार्रवाई के हिंदी-प्रारूप में 'स्टेट लैंग्वेज' का हिंदी-अनुवाद 'राजभाषा' किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। बाद में, संविधान का प्रारूप तैयार करते समय, 'स्टेट लैंग्वेज' के स्थान पर 'ऑफिशियल लैंग्वेज' (Official Language) शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और 'ऑफिशियल लैंग्वेज' का हिंदी अनुवाद 'राजभाषा' ही किया गया ('सरकारी' या 'कार्यालयी' भाषा नहीं)। इस परिप्रेक्ष्य में, 'राजभाषा' शब्द का तात्पर्य है- राजा (शासक) अथवा राज्य (सरकार) द्वारा प्राधिकृत भाषा। भारतीय लोकतंत्र में शासन या सरकार का गठन संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, अत: दूसरे शब्दों में 'राजभाषा' का तात्पर्य है- संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिये स्वीकृत भाषा।

राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध *(Constitutional Provisions Related to Official Language)*

- उल्लेखनीय है कि संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल 'राजभाषा' के रूप में रखा गया है।
- भारतीय संविधान के भाग-17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343-351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 343-351 में राजभाषा से संबंधित उपबंधों को 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं:

भाग-17 (राजभाषा)

- संघ की भाषा
- प्रादेशिक भाषाएँ
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा
- भाषा संबंधी विशेष निदेश

संघ की भाषा (Language of the Union)

अनुच्छेद 343 (संघ की राजभाषा)

- अनुच्छेद 343(1) उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा।
- अनुच्छेद 343(2) के अनुसार, "खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ के सभी शासकीय कार्यों हेतु अंग्रेज़ी भाषा का ठीक वैसे ही प्रयोग किया जाता रहेगा, जैसा पूर्ववत् होता था।"

संघ की भाषा

- अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा
- अनुच्छेद 344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति

शर्तें/नियम (Conditions/Rules)

राष्ट्रपति तत्कालीन अवधि के दौरान, आदेश द्वारा संघ के सभी प्रशासकीय कार्यों हेतु अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

- अनुच्छेद 343(3) के अनुसार, संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा

  (क) अंग्रेज़ी भाषा का या (ख) अंकों के देवनागरी रूप का

  ऐसे कार्यों हेतु उपबंधित कर सकेगी, जो ऐसी विधि से विनिर्दिष्ट किये जाएँ।

17

आपात उपबंध
Emergency Provisions

सवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

- भारतीय संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं।
- भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, तो वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

उद्देश्य *(Objectives)*

इस प्रकार के उपबंधों को संविधान में जोड़ने की मुख्य वजह देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक-राजनैतिक व्यवस्था को यथावत् सुरक्षित बनाए रखना है।

- आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिये गए हैं, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिये गए हैं।
- आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता भी है जिसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप से एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है।

आपात उपबंधों का वर्गीकरण (Classification of Emergency Provisions)

भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को तीन भागों में बाँटा गया है-

1. राष्ट्रीय आपात - अनुच्छेद 352
2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राष्ट्रपति शासन - अनुच्छेद 356
3. वित्तीय आपात - अनुच्छेद 360

राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352) *[(National Emergency (Article 352)]*

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा	● अनुच्छेद 352 में निहित है कि 'युद्ध' 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ● मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' की जगह 'आंतरिक अशांति' शब्द का उल्लेख था। ● 44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' को हटाकर उस स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' को रखा गया।

उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं अवधि	● अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता, जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे न भेज दे। यह प्रावधान 44 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया। ● ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होगा। ● राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा एक महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर प्रवर्तन में नहीं रहता, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर छह माह के लिये प्रवर्तन में बना रह सकता है।
प्रभाव*	● केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव ● कार्यपालिका पर प्रभाव ● विधानमंडल पर प्रभाव ● वित्त पर प्रभाव ● लोकसभा व विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव ● जब अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 358 के उपबंध स्वत: प्रभावी हो जाते हैं। ● अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 द्वारा दिये गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन (अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर) से संबंधित है।
उद्घोषणा की समाप्ति	● राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है। ● संसद द्वारा अनुमोदन न किये जाने पर। ● लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा को वापस ले सकती है।

*आपात उद्घोषणा के प्रभाव**

- **कार्यपालिका पर प्रभाव (Effect on Executive):** अनुच्छेद 353(क) में बताया गया है कि आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य सरकार को यह निर्देश देने तक हो जाएगा कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति

18 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
The Scheduled and Tribal Areas

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

- भारतीय संविधान के भाग–10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किये गए हैं।
- संविधान की पाँचवीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम- इन राज्यों को छोड़कर)। [(अनुच्छेद 244(1)]
- संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक् व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के लिये उपबंध किये गए हैं। [अनुच्छेद 244(2)]
- 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244क जोड़ा गया है, जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि के द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना और उसके लिये स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद् या दोनों का सृजन कर सकता है।

पाँचवीं तथा छठी अनुसूची की तुलनात्मक विशेषताएँ (Comparative Characteristics of Fifth & Sixth Schedule)

पाँचवीं अनुसूची की विशेषताएँ (अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन)	छठी अनुसूची की विशेषताएँ (जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन)
अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ***केंद्र तथा राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ*** ● राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देशित और ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिये बाध्य करना है। ● अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों के लिये आवश्यक है कि वह प्रतिवर्ष एवं जब राष्ट्रपति चाहे, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट सौंपे। ***जनजातीय सलाहकार परिषद्*** ● जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है या जिन राज्यों में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, किंतु अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हों, **राष्ट्रपति के निर्देश से** जनजातीय सलाहकार परिषद् का गठन अनिवार्य होगा। ● जनजातीय सलाहकार परिषद् में अधिकतम 20 सदस्य इनमें से 3/4 उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से लिये जाएंगे। ● राज्यपाल को परिषद् के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व नियुक्ति की पद्धति एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।	● इसके अंतर्गत उत्तर पूर्व के चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। ***स्वायत्त ज़िले एवं स्वायत्त क्षेत्र*** ● इन जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िले के रूप में प्रशासित किया जाएगा। अगर किसी ज़िले में विभिन्न अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हों, तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में विभाजित कर सकेगा। ● राज्यपाल को लोक अधिसूचना द्वारा स्वायत्त ज़िले में स्वायत्त क्षेत्र बनाने, पहले से शामिल स्वायत्त क्षेत्र को हटाने, नए स्वायत्त ज़िले बनाने, स्वायत्त ज़िले के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, दो या अधिक स्वायत्त ज़िले को मिलाकर एक बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार होगा। ***ज़िला परिषद् तथा प्रादेशिक/क्षेत्रीय परिषद् का गठन*** इसमें कुल 30 सदस्य होंगे (4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित व 26 सदस्य वयस्क मताधिकार से निर्वाचित)। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है (बशर्ते परिषद् को पहले विघटित न कर दिया जाए) तथा मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। अगर किसी स्वायत्त ज़िले के भीतर स्वायत्त क्षेत्र का गठन किया गया है तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक् क्षेत्रीय परिषद् होगी। ***ज़िला परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषद् की विधायी शक्ति*** ● ये परिषदें भूमि, वन, नहर, खेती, गाँव प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह एवं सामाजिक रीति-रिवाज के संबंध में विधि बना सकती हैं। ● राज्यपाल की अनुमति से परिषदों को भू-राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण की तथा कुछ निश्चित कर लगाने की शक्ति प्राप्त है।

19

स्थानीय स्वशासन
Local Self Government

स्थानीय स्वशासन का आशय (Meaning of Local Self Government)

गाँव और ज़िला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इससे आशय ऐसे शासन से है, जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके व प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। यह राजनीतिक जागरूकता के साथ-साथ आम आदमी के सशक्तीकरण का परिचायक है।

- स्थानीय स्वशासन में 'विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था' (Decentralized Government System) तथा 'सहभागितामूलक लोकतंत्र' (Participatory Democracy) का आदर्श अंतर्निहित है।
- इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि इससे ग्रामीण जनता की पहुँच शासक तक हो जाती है साथ ही कार्यान्वयन से संबंधित अहम फैसले लेने में उस परियोजना विशेष के लाभार्थी प्रत्यक्षतः जुड़ जाते हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण उत्थान एवं विकास का रास्ता खुल जाता है।

भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास (Development of Local Self-government in India)

भारत में स्थानीय स्वशासन *(Local Self-government in India)*

ऐतिहासिक पहलू (Historical Aspect)

- चोल साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीज परिलक्षित होते हैं।
- 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत गाँवों के लिये ज़मींदार नियुक्त किये गए, जो पंचायतों से स्वतंत्र एवं सरकार के प्रति जवाबदेह थे।
- लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। यह पहला अवसर था, जब स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। लॉर्ड रिपन को 'स्थानीय शासन का जनक' कहा जाता है।
- 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद (After Independence)

- संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के संबंध में दो खेमे हो गए– (i) स्थानीय स्वशासन के पक्षधर, (ii) स्थानीय स्वशासन के विरोधी।
- महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक थे एवं मुख्य समर्थकों में दादाभाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय आदि शामिल थे।
- इसके प्रखर विरोधी भीमराव अंबेडकर थे। इनके अनुसार, "स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी व जातिवादी सामाजिक ढाँचे का निर्माण करेगा।"
- अंततः संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को नीति-निदेशक तत्त्वों में अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि "राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हैं।"
- 2 अक्तूबर, 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई।
- 1950–1992 तक चरणबद्ध प्रयासों के बाद 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला।

भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ (Major Committees Relating to the Panchayati Raj)

बलवंत राय मेहता समिति *(Balwant Rai Mehta Committee)*

यह समिति 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में योजना आयोग (वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जा चुका है।) द्वारा 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' और 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम' के अध्ययन के लिये गठित की गई व नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें थीं–

- जनसहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज को माना (सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलता के बाद) गया।
- पंचायतों की त्रिस्तरीय ढाँचा बनाए जाने की बात कही–
  - (i) ग्राम स्तर पर – ग्राम पंचायत
  - (ii) खंड या ब्लॉक स्तर पर – पंचायत समिति
  - (iii) ज़िला स्तर पर – ज़िला परिषद्
- सरकार का काम सिर्फ मार्गदर्शन (Guidance), निरीक्षण (Inspection) तथा उच्च स्तर की योजना बनाने तक सीमित रखने एवं योजनाओं के संचालन का कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंपने की बात कही गई।
- समिति की सिफारिशों में इस बात का उल्लेख किया गया कि ज़िला परिषद् का अध्यक्ष, ज़िलाधिकारी होना चाहिये एवं पंचायती संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिये उन्हें पर्याप्त संसाधन स्थानांतरित किये जाने चाहिये और भविष्य में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात की गई।

20 आयोग/परिषद्/अधिकरण
Commission/Council/Tribunal

संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies)

- भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख है, उन्हें संवैधानिक निकाय माना जाता है। इन निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। इन निकायों के तंत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिये संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है।
- इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हें पर्याप्त पद सुरक्षा प्रदान की गई है और इन्हें संविधान में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। इनकी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

अनुच्छेद	संबंधित निकाय
280	वित्त आयोग
315–323	संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग/संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
148	भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
323 क	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
338	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
338 क	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
338 ख	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
324	निर्वाचन आयोग

इस अध्याय में प्रमुख संवैधानिक निकायों के संदर्भ में चर्चा की गई है-

वित्त आयोग *(Finance Commission)*

संवैधानिक प्रावधान	• वित्त आयोग के संबंध में अनुच्छेद 280 व 281 में उल्लेख किया गया है। • वित्त आयोग एक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है।
संरचना/गठन एवं पदावधि	• अनुच्छेद 280 (1) के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। • अनुच्छेद 280 (2) के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएँ निर्धारित करे। • संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएँ निर्धारित करने हेतु 'वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951' पारित किया गया। इसके अंतर्गत अग्रलिखित अर्हताएँ हैं– ◆ अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामलों का ज्ञाता हो। ◆ अन्य चार सदस्यों हेतु उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो या उसे प्रशासन व वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो या अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो। • आयोग का प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाए, किंतु वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, साथ ही वह राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना पदत्याग कर सकेगा।
निरर्हताएँ	• कोई व्यक्ति आयोग का सदस्य नियुक्त किये जाने या होने के लिये निरर्हित (Disqualified) होगा यदि– ◆ वह विकृतचित्त का है। ◆ वह घोषित रूप से दिवालिया हो। ◆ वह ऐसे अपराध का दोषी सिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्लिप्त हो। ◆ उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित हो जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
कार्य	• भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। • अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता दी जानी चाहिये। • राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। • राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश, जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो।
शक्तियाँ	• आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। • प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके।

21 भारत में निर्वाचन, मतदान व्यवहार एवं दलीय व्यवस्था
Elections, Voting Behaviour and Party System in India

चुनाव (Election)

- चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी राजनीतिक पसंद और नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं एवं इसके साधन के रूप में अभिव्यक्ति हेतु मतदान का प्रयोग करते हैं।
- चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों को एक निश्चित समयावधि के लिये निर्वाचित किया जाता है और अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिनिधियों को पुनः जनादेश प्राप्त करना आवश्यक होता है।

सवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions)

- भारतीय संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 में, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिये चुनाव आयोग नामक संस्था का उल्लेख किया गया है।
- भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है, जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा जिसे संविधान या विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून/विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया गया, मतदान का अधिकार होता है। निरर्हित करने के आधार अनिवास, चित्तविकृति, अपराध, भ्रष्ट या अवैध आचरण आदि हो सकते हैं।
- अनुच्छेद 325 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिये धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं किया जा सकता अथवा इन्हीं आधारों पर वह व्यक्ति शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता।
- अनुच्छेद 327 संसद को विधायी शक्ति प्रदान करता है। उसके अनुसार वह संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या उसके प्रत्येक सदन के निर्वाचनों से संबंधित सभी मामलों के बारे में कानून बना सकेगी। इनमें निर्वाचक-नामावलियों की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा "ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक" सभी अन्य मामले भी शामिल हैं।

भारत में निर्वाचन प्रणाली (Election System in India)

निर्वाचन प्रणाली के प्रकार

भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यतः दो प्रकार की पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं:

1. लोकसभा एवं राज्यों में विधान सभा चुनाव हेतु 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम' अपनाया जाता है।
2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है।

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (First Past the Post System)

- भारतीय राजव्यवस्था में लोकसभा व राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव के लिये यह प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में बाँटकर उन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार का चयन किया जाता है।
- जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, भले ही वे डाले गए कुल मतों के आधे से कम ही क्यों न हों, विजयी घोषित होता है।
- इस व्यवस्था में सत्ता में वही दल आता है, जिसे बहुमत का जनादेश मिला हो।
- इस व्यवस्था की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें केवल तुलनात्मक बहुमत का ध्यान रखा जाता है। अतः कई बार किसी चुनाव क्षेत्र में पड़े मतों का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत मत पाने वाला प्रत्याशी भी विजेता घोषित कर दिया जाता है।

निर्वाचन प्रणाली (Electoral System)

- फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (First Past the Post System)
  - भारत में जहाँ-जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct Election) होता है लगभग हर जगह यही व्यवस्था अपनाई जाती है।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)
  - सूची पद्धति (List System)
    - इज़रायल, पुर्तगाल, अर्जेंटीना आदि देशों में
  - एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote)
    - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आदि।

एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation by Single Transferable Vote)

- इस प्रकार की व्यवस्था को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिये प्रयोग किया जाता है।

22 भारत में सुशासन
Good Governance in India

सुशासन (Good Governance)

- 'सुशासन' का तात्पर्य शासन अथवा प्रशासन में नैतिक मूल्यों का प्रयोग किये जाने से है। इन मूल्यों में आमतौर पर सहभागिता, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी और कार्यकुशल, न्यायसंगत और समावेशी, विधि का शासन आदि शामिल हैं।
- सुशासन (Good Governance) और नागरिक-केंद्रित (Citizen-Centric) प्रशासन की अवधारणाएँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। किसी भी सरकार के लिये चाहे वह राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय अथवा स्थानीय हो, नागरिकों का कल्याण और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नागरिक-केंद्रितता महत्त्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य सुशासन प्रदान करना होता है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नागरिक-केंद्रित शासन की पूर्वापेक्षाएँ निम्नलिखित हैं-

- सुदृढ़ कानूनी ढाँचा
- कानूनों के समुचित पालन और उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मज़बूत व प्रभावी संस्थागत तंत्र
- इन संस्थानों की सक्षम कार्मिक स्टाफ-प्रणाली और ठोस कार्मिक प्रबंधन नीतियाँ और
- विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन (Delegation) और जवाबदेही हेतु सही नीतियाँ।

आयोग ने शासन को नागरिक-केंद्रित बनाने के लिये निम्न प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया है-

- शून्य सहिष्णुता कार्यनीति पर आधारित कानून का शासन
- संस्थानों को लचीला, प्रतिक्रियाशील और जवाबदेह बनाना
- विकेंद्रीकरण
- पारदर्शिता
- सिविल सेवा सुधार
- शासन में नैतिकता
- प्रक्रिया में सुधार और
- शासन की गुणवत्ता का समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन।

अंततः सिद्धांतों और पूर्व-शर्तों से आगे बढ़ते हुए आयोग ने उन विवरणों की जाँच करने का प्रयास किया है जिनकी सहायता से शासन को कार्यनीतियों और प्रक्रियाओं, साधनों और पद्धतियों के संदर्भ में और अधिक नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके। ये विवरण अग्रलिखित हैं-

- गवर्नेंस को 'नागरिक-केंद्रित' बनाने के लिये पुनः इंजीनियरी प्रक्रिया
- उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाना
- सूचना का अधिकार
- नागरिक चार्टर
- सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन
- शिकायत समाधान पद्धतियाँ और
- सक्रिय नागरिक भागीदारी (सरकारी-निजी भागीदारी)।

नागरिक-केंद्रित प्रशासन की अवधारणा *(The Concept of Citizen Centric Administration)*

सुशासन और नागरिक-केंद्रित प्रशासन (Good Governance and Citizen Centric Administration)

सुशासन की अवधारणा कोई नई नहीं है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' में राजा के गुणों का इस प्रकार विस्तार किया है- *"अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी निहित है, उनके कल्याण में अपना कल्याण समझता है। जिससे उसे खुद को खुशी मिलती है, उसे वह अच्छा नहीं समझता, किंतु जिस किसी भी बात से प्रजा को खुशी होती है, उसे वह उत्तम समझता है।"* महात्मा गांधी ने भी 'स्वराज' की अवधारणा का प्रतिपादन किया था।

सुशासन के गुण *(Merits of Good Governance)*

सुशासन के निम्नलिखित आठ गुण हैं, जो उन्हें अपने नागरिकों के साथ जोड़ते हैं।

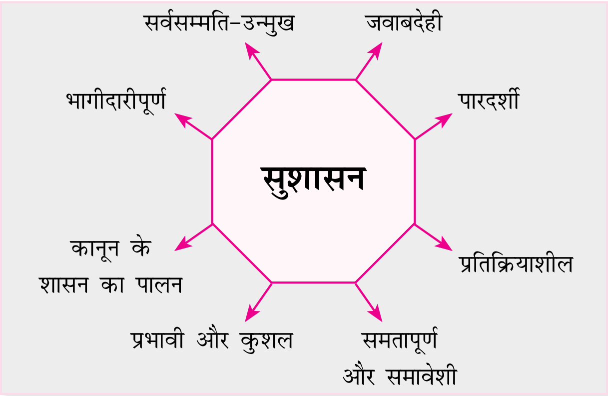

23 संविधान संशोधन : एक नज़र में
Constitutional Amendments : At a Glance

भूमिका (Introduction)

दुनिया के किसी भी संविधान में परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया का अपनाया जाना प्रगति का सूचक माना जाता है। बात चाहे संविधान की हो अथवा किसी व्यवस्था या समाज की, वह अंदर आवश्यक परिवर्तन करके ही विकास की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। कोई भी संविधान निर्मात्री सभा यह दावा नहीं कर सकती कि उसके द्वारा संविधान में रखे गए प्रावधान सार्वकालिक प्रकृति के हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को भी संशोधनीय बनाया गया है।

संविधान संशोधन के संबंध में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि *"सभा ने यह नहीं माना कि संविधान अंतिम तथा निर्दोष है। सभा की यह धारणा नहीं है कि संविधान के संशोधन का अधिकार जनता को नहीं दिया जाए जैसा कि कनाडा ने किया है या संशोधन के लिये अत्यंत कठिन शर्त निर्धारित कर दी जाए जैसा कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सभा ने संविधान संशोधन के लिये एक सरल प्रक्रिया अपनाई है। जो लोग संविधान से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें केवल दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना है और यदि वे दो-तिहाई बहुमत भी अपने पक्ष में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यही समझा जाएगा कि संविधान के प्रति उन्हें जो असंतोष है, उसमें जनता उनके साथ नहीं है।"* इस कथन से स्पष्ट है कि संविधान निर्माता संविधान को न तो कठोर (Rigid) बनाना चाहते थे और न ही पूर्णत: लचीला (Flexible)। उनके इन्हीं विचारों की झलक संविधान संशोधन संबंधी उपबंधों में दिखती है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया
(Procedure of Amendment of the Constitution)

भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है।

संविधान संशोधन	
साधारण बहुमत से (Simple Majority)	• ऐसे संशोधन के लिये दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। • ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। • जैसे, अनुच्छेद 2, 3, 4, 75, 97, 105(3), 106, 125, 148 आदि।
विशेष बहुमत से (Special Majority)	• जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढाँचे (Federal Structure) से है, उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 'संशोधन' माने जाने वाले शेष सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल हैं। • इसमें विधेयक को सदन की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिये एवं प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई का समर्थन प्राप्त होना चाहिये।
संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (Ratification) से पारित होने वाले विधेयक	• इस प्रकार के संशोधन का संबंध संघात्मक ढाँचे से है। • अनुच्छेद 368(2) के अनुसार इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है एवं कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प (Resolution) पारित करके उसे अनुसमर्थन (Ratification) दिया जाए। • जैसे, अनुच्छेद 54, 55, 73, 80, 81, 162, 241 चौथी या सातवीं अनुसूची की कोई सूची आदि में किया जाने वाला संशोधन।

संविधान संशोधन प्रक्रिया के विभिन्न चरण
(Different Stages of Constitutional Amendment Process)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिये औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, जिसके विभिन्न चरण हैं–

- संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है।
- दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या के आधे या आधे से अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई या अधिक सदस्यों के समर्थन) से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है।
- संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का कोई प्रावधान नहीं है।
- ऐसे विधेयक का दोनों सदनों में पृथक्-पृथक् पारित होना ज़रूरी है।

24 भारतीय संविधान : सामान्य पहलू
Indian Constitution : General Aspects

भारतीय संविधान : एक नज़र में (Indian Constitution : At a Glance)

भाग	विषय	संबंधित अनुच्छेद
I	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मूल अधिकार	12 से 35
IV	राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व	36 से 51
IV क	मूल कर्त्तव्य	51क
V	संघ अध्याय I– कार्यपालिका अध्याय II– संसद अध्याय III– राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV– संघ की न्यायपालिका अध्याय V– भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	52 से 151 52 से 78 79 से 122 123 124 से 147 148 से 151
VI	राज्य अध्याय-I साधारण अध्याय II– कार्यपालिका अध्याय III– राज्य का विधानमंडल अध्याय IV– राज्यपाल की विधायी शक्ति अध्याय V– राज्यों के उच्च न्यायालय अध्याय VI– अधीनस्थ न्यायालय	152 से 237 152 153 से 167 168 से 212 213 214 से 232 233 से 237
VII	[पहली अनुसूची के भाग-ख के राज्य] 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित	238 (निरसित)
VIII	संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243 ण (O)
IX क	नगरपालिकाएँ	243त (P) से 243 यछ (ZG)
IX ख	सहकारी समितियाँ	243 यज(ZH) से 243 यन (ZT)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244 क
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय I– विधायी संबंध अध्याय II– प्रशासनिक संबंध	245 से 263 245 से 255 256 से 263
XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद अध्याय I– वित्त अध्याय II– उधार लेना अध्याय III– संपत्ति, संविदाएँ, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएँ और वाद अध्याय IV– संपत्ति का अधिकार	264 से 300क 264 से 291 292 एवं 293 294 से 300 300 क

Think IAS
दृष्टि The Vision
Think Drishti

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(33 + 10 बुकलेट्स) (₹15,500/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(33 बुकलेट्स) (₹14,000/-)

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 बुकलेट्स) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 बुकलेट्स) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 बुकलेट्स) (₹10,000/-)

छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. (CGPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(35 + 6 बुकलेट्स) (₹15,500/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(35 बुकलेट्स) (₹14,000/-)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(34 बुकलेट्स) ₹10,500/-

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

For UPSC CSE (in English Medium)

Self Learning Modules

Students may opt for following modules

Prelims (17 GS + 3 CSAT Booklets) ₹10000/-
Mains (18 GS Booklets) ₹11000/-
Prelims + Mains (33 GS + 3 CSAT Booklets) ₹15000/-

Offer: Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine with every module

For UPPCS Mains (in English Medium)

Self Learning Modules

19 GS + 1 Essay +
1 Compulsory Hindi Booklets
₹11000/-

Offer: Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine for comprehensive coverage of current affairs

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक परीक्षा)
(19 बुकलेट्स) ₹10,000/-

सामान्य अध्ययन
(मुख्य परीक्षा)
(26 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रारंभिक परीक्षा)
(27 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(31 बुकलेट्स) ₹15,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(39 बुकलेट्स) ₹17,500/-

इतिहास
(वैकल्पिक विषय)
(12 बुकलेट्स) ₹7,000/-

दर्शनशास्त्र
(वैकल्पिक विषय)
(4 बुकलेट्स) ₹5,000/-

हिन्दी साहित्य
(वैकल्पिक विषय)
(13 बुकलेट्स) ₹7,000/-

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें : 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

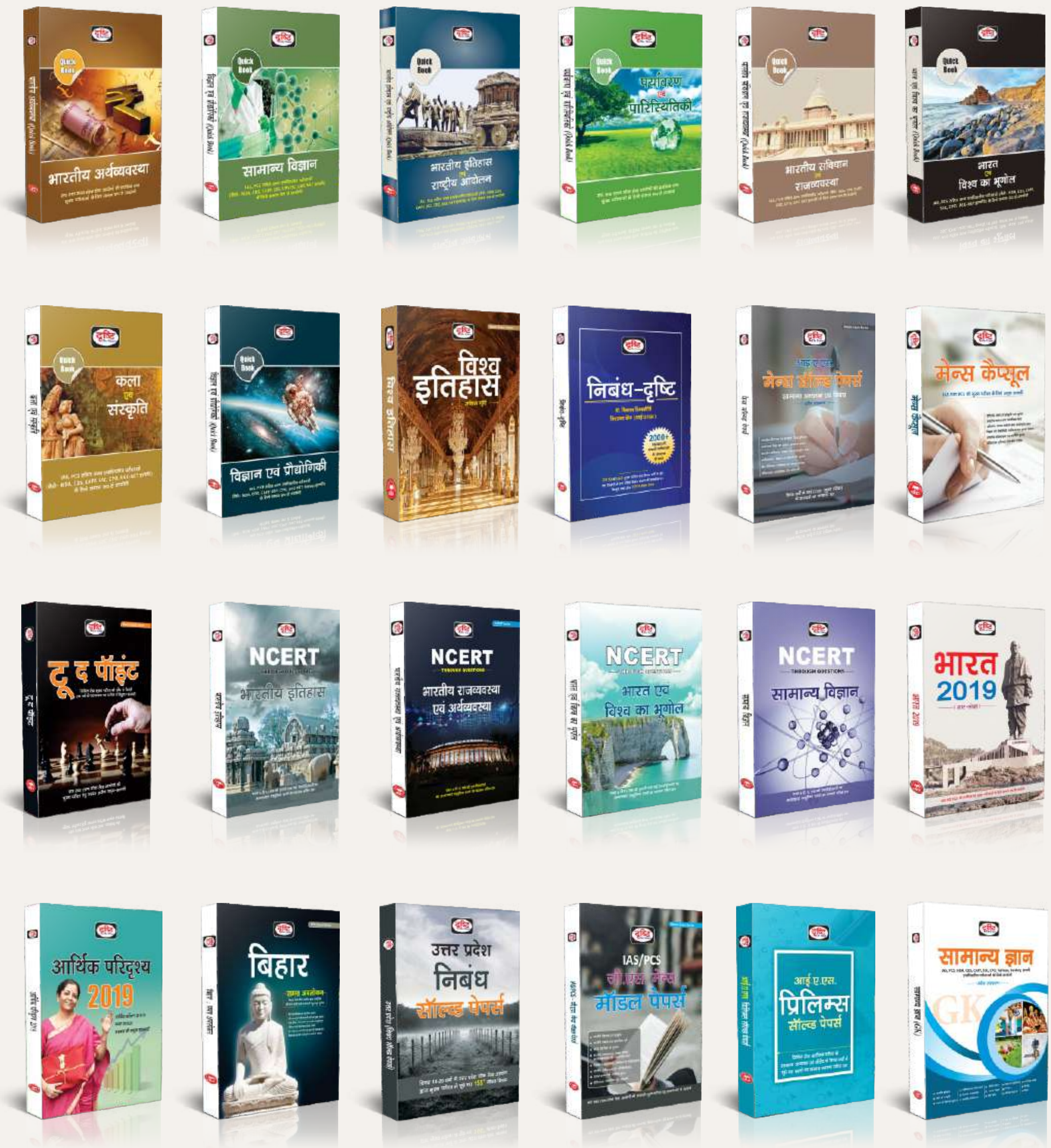

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: bookstean@groupdrishti.com

ISBN 978-81-937195-5-8
9 788193 719558

मूल्य : ₹ 280